

सामान्य एवं ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए

डीलरों के चयन हेतु विवरणिका



09, अक्टूबर 2014

विषय-वस्तु

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	परिचय	3
1	लोकेशन की पहचान	3
2	आरक्षण	3
3	रिटेल आउटलेट (आरओ-RO) साइट के प्रकार	4
4	व्यक्तिगत आवेदकों के लिए योग्यता मानदण्ड	4
5	गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए योग्यता मानदण्ड	12
6	रिटेल आउटलेट प्रबंधन	13
7	डीलरशिप में पति/पत्नी की सहभागिता	13
8	रिटेल आउटलेट डीलरशिप के परिचालन हेतु आवश्यक मूल सुविधाएँ	14
9	अनुसूचित जाति (अजा-SC)/अनुसूचित जनजाति (अजजा-ST) श्रेणी डीलरशिप के लिए आर्थिक सहायता की योजना	15
10	अयोग्यता	16
11	आवेदकों से शपथ-पत्र (एफीडेविट)	18
12	आवेदन शुल्क	18
13	अप्रतिदेय निर्धारित शुल्क /बोली (Bid) की राशि	18
14	चयन प्रक्रिया	19
15	प्रत्यय पत्रों का क्षेत्रीय सत्यापन (FVC)	22
16	आशय पत्र	22
17	शिकायत/व्यथा निवारण प्रणाली	23
18	डीलरशिप की स्थापना	24
19	जमानत राशि/निर्धारित शुल्क/ बोली (Bid) राशि	24
20	डीलरशिप का कार्यकाल	24
21	गलत जानकारी	24
22	समाचारपत्र में प्रकाशित विज्ञापन एवं सामान्य शर्तों की विस्तृत जानकारी	25
23	परिशिष्ट	29 - 70

ध्यानार्थः

इस विवरणिका में दी गयी जानकारी, अगर अंग्रेजी की विवरणिका (Brochure) में दी गयी जानकारी से, भिन्न अथवा विसंगत पाये जाने की स्थिति में, अंग्रेजी की विवरणिका में दी गयी जानकारी मान्य होगी और इस प्रकार के किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी विवरणिका में दिया गया विवरण अंतिम माना जायेगा।

सामान्य एवं ग्रामीण रिटेल आउटलेट के डीलरों के चयन के दिशा-निर्देश

परिचय

तेल विपणन कंपनियों (OMC) ने डीलर चयन के नए दिशानिर्देश बनाए हैं जिसमें लॉट / बोली (Bid) प्रक्रिया का ड्रा निकालने की एक पारदर्शक प्रणाली का इस्तेमाल कर चयन किया जाता है।

चयन के नए दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- (i) योग्यता मानदण्ड के अनुसार आवेदक को उपयुक्त भूमि, आयु, शैक्षणिक अर्हता और वित्त उपलब्धता की न्यूनतम जरूरतें पूरा करना आवश्यक है। तथापि अजा/अजजा श्रेणी यानि कॉर्पस फंड लोकेशन के अंदर आने वाले लोकेशनों के लिए वित्त, योग्यता मानदण्ड का हिस्सा नहीं है।
- (ii) चयन हेतु न तो अंक आधारित मूल्यांकन है ना ही साक्षात्कार होगा।
- (iii) योग्यता मानदण्ड को पूरे करने वाले सभी आवेदक अगली चयन प्रक्रिया के लिए योग्य माने जाएंगे।
- (iv) कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले डीलर संचालित आउटलेट, डीलर के स्वामित्व वाले डीलर संचालित आउटलेट, तथा कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले कॉर्पस फंड योजना के अंतर्गत आने वाले आउटलेट के लिए अलग-अलग चयन प्रक्रिया है।

1. लोकेशन की पहचान

रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए लोकेशन की पहचान संबंधित तेल कंपनी द्वारा की जाती है जो वाणिज्यिक/न्यूनतम मात्रा की संभाव्यता पर आधारित होती है। तदनुसार सामान्य/ग्रामीण आउटलेट तेल कंपनियों द्वारा निम्नानुसार स्थापित किए जाते हैं :-

सामान्य रिटेल आउटलेट: हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग-NH/राजमार्ग-SH) तथा शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों में आने वाले लोकेशन

ग्रामीण रिटेल आउटलेट (आरओ-RO): ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले लोकेशन, लेकिन जो हाईवे पर (राष्ट्रीय राजमार्ग-NH/राजमार्ग-SH) नहीं है।

2. आरक्षण

क. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण दिया जाता है: -

श्रेणी	अजा/अजजा	ओबीसी (OBC)	खुली	कुल
संयुक्त श्रेणी 1 (सीसी1) जिसमें शामिल हैं:- (i) रक्षा कार्मिक और (ii) अर्द्ध सैनिक कार्मिक/केन्द्रीय/ राज्य सरकार और केन्द्रीय/राज्य पीएसयू कर्मचारी	2%	2%	4%	8%
संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) जिसमें शामिल हैं :- (i) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (पीएच) (ii) अभूतपूर्व खिलाड़ी (ओएसपी) तथा (iii) स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ)	1%	1%	2%	4%
अजा/अजजा	19.50%			19.50%
ओबीसी (OBC)		24%		24%
खुली			44.50%	44.50%
कुल	22.50%	27%	50.50%	100%

- ख) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और मिज़ोरम के राज्यों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरक्षण निम्नानुसार जारी रहेगा: -

राज्य	अजजा श्रेणी को दी गई सामान्य और ग्रामीण रिटेल आउटलेट डीलरशिप का प्रतिशत	खुली श्रेणी को दिया जाने वाला बाकी प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	70	30
मेघालय	80	20
नागालैण्ड	80	20
मिज़ोरम	90	10

3. रिटेल आउटलेट (आरओ- RO) साइट के प्रकार

रिटेल आउटलेट स्थलों के प्रकारों को तेल कंपनियों द्वारा निम्नानुसार निर्णीत किया जायेगा:-

क्र.सं.	स्थल के प्रकार	भूमि की स्थिति और सुविधाएँ
i.	कॉर्पोरेट फंड स्कीम के अंदर आने वाले स्थान (सीएफएस-CEFS साइट)	प्रस्तावित भूमि को लीज पर लेकर या खरीद कर कॉर्पोरेशन द्वारा पूरी तरह विकसित किया जाएगा।
ii.	कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले अन्य स्थल ("ए"- "A"/"सीसी"- "CC" स्थल)	प्रस्तावित भूमि को लीज पर लेकर या खरीद कर कॉर्पोरेशन द्वारा पूरी तरह विकसित किया जाएगा।
iii.	कंपनी की लीज पर	सुपर संरचना के साथ डीलर द्वारा विकसित की गई प्रस्तावित भूमि कॉर्पोरेशन लीज पर लेता है।
iv.	डीलर के स्वामित्व वाले स्थान ("बी"- "B", "डीसी"- "DC" साइट)	प्रस्तावित भूमि और सुपर संरचना डीलर द्वारा विकसित की जाएगी। पंप, टैंक, ऑटोमेशन साइनेज आदि कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाएंगे।

टिप्पण: प्रस्तावित भूमि या तो आवेदक से ली जाती है या भूमि के मालिक से सीधे ली जाती है।

अजा/अजजा श्रेणी के अन्तर्गत सभी लोकेशन उक्त (i) के अनुसार विकसित किये जाएंगे।

4. व्यक्तिगत आवेदकों के लिए योग्यता मानदण्ड - स्वामित्व (Proprietorship) / पार्टनरशिप

व्यक्तिगत रूप में आवेदन भेजने वालों के लिए सभी श्रेणियों में समान योग्यता मानदण्ड (परिशिष्ट Xए) तब तक अन्यथा न वर्णित हो)

- (i) नागरिकता : भारतीय नागरिक
- (ii) आवासीय स्थिति:

सामान्य रिटेल आउटलेट (आरओ-RO) :

शपथ-पत्र की तारीख को भारत का निवासी (आयकर नियमों के अनुसार¹)

ग्रामीण रिटेल आउटलेट:

शपथ-पत्र की तारीख को भारत का निवासी (आयकर नियमों के अनुसार¹) एवं

और

¹यदि कोई व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में 182 दिन या उससे अधिक रहा, तो आयकर नियमों के अनुसार वह भारत का नागरिक माना जाता है, चाहे उसका नागरिकत्व कहीं का भी हो। यदि उसका निवास 182 दिनों से कम है तो वह अनिवासी माना जायेगा।

संबंधित राजस्व जिले का निवासी (शपथ-पत्र की तारीख से छह महीने पहले जारी आवास प्रमाण-पत्र को वैध आवास प्रमाण-पत्र माना जाएगा) - (परिशिष्ट - I).

(iii) आयु: 21 वर्ष से कम नहीं और 55 वर्ष से अधिक नहीं (शपथ-पत्र की तारीख को - परिशिष्ट Xए) सीसी2 श्रेणी के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़कर

आयु के प्रमाण के समर्थन हेतु 10वीं कक्षा मानक बोर्ड प्रमाणपत्र / उच्च माध्यमिक स्कूल लीविंग प्रमाण-पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / पासपोर्ट / आयु हेतु शपथ-पत्र / चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संलग्न होना चाहिए।

(iv) शैक्षणिक अर्हता:

विदेशी विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा प्राप्त शैक्षिक योग्यता के लिए, सक्षम प्राधिकारी / राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा जारी समतुल्य प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा संलग्न किया जाना चाहिए

क) सीसी1 और सीसी2 श्रेणियों के आवेदकों के संबंध में :-

ग्रामीण रिटेल आउटलेटके लिए: कम से कम 10वीं पास (बोर्ड/विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा)

सामान्य रिटेल आउटलेटके लिए: कम से कम बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 10+2 स्तर की परीक्षा पास होनी चाहिए

ख) अन्य श्रेणियों से जुड़े आवेदकों के संबंध में :-

ग्रामीण रिटेल आउटलेटके लिए: कम से कम बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 10+2 स्तर की परीक्षा पास होनी चाहिए

सामान्य रिटेल आउटलेट के लिए: निम्नलिखित अर्हताओं में से कम से कम कोई एक होनी चाहिए जो भारत के केन्द्र या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती हो अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य किसी शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाती हो अथवा यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता घोषित की गई संस्था द्वारा दी जाती हो अथवा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास (मासंवि) मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य अर्हक प्राप्त हो:

- किसी भी विधा में स्नातक
- सनदी लेखाकार
- कंपनी सचिव
- लागत लेखाकार
- इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

सीसी2 श्रेणी के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता लागू नहीं है।

(v) वित्त :

सामान्य रिटेल आउटलेट योग्यता के लिए निधि की आवश्यकता 25 लाख रु. होगी और ग्रामीण रिटेल आउटलेट योग्यता के लिए निधि की आवश्यकता 12 लाख रु. होगी। यह निधि निम्नलिखित रूपों में हो सकती है:-

- बचत खाते में निधि, बैंक/पंजीकृत कंपनियों/डाक योजनाओं में जमा राशि : पास बुक/ खाता विवरण/ जमा रसीदों की प्रति प्रदान करनी होगी।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आदि : शोधन मूल्य - एनएससी की प्रति के साथ मूल्यांकन प्रमाण-पत्र प्रदान करना

- **बॉण्ड** : शोधन मूल्य : बॉण्ड के प्रति के साथ मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्रदान करना
- **सूचीबद्ध कंपनियों के डीमैट फॉर्म में शेयर्स** : डीमैट विवरण के साथ मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्रदान करना
- **म्युच्युअल फंड** : म्युच्युअल फंड प्रमाणपत्रों या डीमैट विवरणों सहित मूल्यांकन प्रमाण-पत्र प्रदान करना.

सभी मूल्यांकन प्रमाण - पत्र विज्ञापन की तारीख के बाद किसी भी तारीख को परिसंपत्ति के रूप में होने चाहिए। मूल्यांकन प्रमाणपत्र किसी सनदी लेखाकार या निक्षेपागार प्रतिभागी (यथा लागू हो) से प्राप्त किया होना चाहिए।

प्रमाणित मूल्य का केवल 60% (शेयर्स, म्युच्युअल फंड और बॉण्ड के लिए) योग्यता के उद्देश्य से विचारणीय होगा।

उक्त विवरण आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ देने चाहिए। आवेदन में की गई घोषणा और इसके शपथ-पत्र के प्रासंगिक खंडों (परिशिष्ट Xए/Xबी यथा लागू) के आधार पर योग्यता निर्धारित की जाएगी।

आवेदन पत्र में उल्लिखित निधियाँ शपथ-पत्र की तारीख को आवेदक के पास उपलब्ध होनी चाहिए।

फील्ड सत्यापन के दौरान आवेदन के जमा करने की अंतिम तारीख को निधि की उपलब्धता सत्यापित की जाएगी।

जहाँ भी आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को क्लोजिंग बैलेंस के रूप में निधि की उपलब्धता योग्यता के लिए आवश्यक निधियों से कम पाई जाएगी, वहाँ आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

क) ऊपर बताए गए ₹.12 लाख और ₹.25 लाख केवल योग्यता मानदण्ड का निर्णय लेने के लिए है। वास्तविक निधि की व्यवस्था करना मामले के अनुसार संबंधित तेल कंपनी द्वारा विज्ञापन में दिए गए संकेतों के अनुसार अलग-अलग होंगे। विज्ञापन में बताई गई निधि की आवश्यकता में नोट खंड 4, (vi), मद क्र. (ई) में वर्णित प्रस्तावित भूमि के विकास की लागत शामिल नहीं है।

ख) अजा/अजजा लोकेशनों के मामले में वित्त योग्यता मानदण्ड नहीं होगा।

ग) नगदी/गहने/ इंडुमेंट आदि जहाँ मालिकाना हक साबित नहीं होता है उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ) चालू खाते में उपलब्ध बैलेंस पर विचार नहीं किया जाएगा।

“वित्त” प्राचल के संबंध में जैसा कि उपर बताया गया है: “परिवार इकाई” (जैसा बहुविध (मल्टीपल) डीलरशिप मानदण्ड (खंड - 10) “अयोग्यता” में परिभाषित किया गया है) के किसी भी सदस्य द्वारा वित्त की व्यवस्था को आवेदक से संबंधित माना जाएगा, बशर्ते आवेदन फार्म (परिशिष्ट XI ए) के खंड 10 में उल्लिखित निधि उपलब्धता के लिए “परिवार इकाई” के संबंधित सदस्य से शपथ-पत्र (परिशिष्ट -IV) सहमति पत्र (पत्रों) के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

च) विज्ञापन में दिये गये लोकेशन हेतु एक आवेदक द्वारा प्रस्तावित वित्तीय साधनों/लेखों/निधियों का प्रस्तावदूसरा आवेदक उसी लोकेशन के लिए नहीं दे सकता।

यदि कोई वित्तीय साधन/लेख/ निधि, इत्यादि को विज्ञापन में दी किसी एक लोकेशन हेतु, एक से अधिक आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किया हुआ, किसी भी चरण अथवा समय में पाया जाता है, तो ऐसे सभी आवेदन अस्वीकृत होंगे या यदि चयन हो गया हो तो उसे रद्द किया जायेगा।

इस संदर्भ में आवेदक/ उनके परिवार के सदस्यों को घोषणापत्र देना होगा कि उनके द्वारा वित्त प्रबंधन हेतु प्रस्तावित वित्तीय साधनों/लेखों/निधियों का प्रस्ताव किसी भी अन्य आवेदक ने उसी लोकेशन के लिए नहीं दिया है। यदि किसी भी चरण में ऐसा पाया जाता है तो ऐसे आवेदकों की उम्मीवारी अस्वीकृत की जायेगी/चयन रद्द किया जायेगा।

(vi) **भूमि (सभी श्रेणियों को लागू) :**

आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा प्रस्तावित भूमि के आधार पर आवेदकों को दो दलों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :-

गुप 1: जिन आवेदकों के पास विज्ञापित लोकेशन/एरिया में मालिकाना हक में / या तेल कंपनी द्वारा विज्ञापित न्यूनतम __ वर्षों की अवधि (संबन्धित तेल कंपनी द्वारा दिये गए विज्ञापन के अनुसार) के लिए दीर्घ अवधि लीज पर भूमि का उपयुक्त टुकड़ा हो ।

गुप 2: जिन आवेदकों के पास उपयुक्त भूमि खरीदने के लिए पक्का प्रस्ताव हो या जिनके पास तेल कंपनी द्वारा विज्ञापित न्यूनतम __ वर्षों की अवधि (संबन्धित तेल कंपनी द्वारा दिये गए विज्ञापन के अनुसार)के लिए दीर्घ अवधि लीज पर लेने का पक्का प्रस्ताव हो।

प्रस्तावित भूमि के लिए अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-

क) शपथ पत्र की तारीख को भूमि आवेदक के पास उपलब्ध होनी चाहिए और विज्ञापन की तारीख को या उसके बाद की तारीख में (परंतु शपथ-पत्र की तारीख के बाद नहीं) __ वर्षों की अवधि (संबन्धित तेल कंपनी द्वारा दिये गए विज्ञापन के अनुसार) की न्यूनतम लीज पर होनी चाहिए (**परिशिष्ट - Xए/Xबी**)

ख) यदि प्रस्तावित भूमि दीर्घ अवधि लीज पर है तो कॉर्पस फंड योजना (सीएफएस-CFS), अन्य कॉर्पोरेशन के स्वामित्व के स्थलों ("ए"/ "सीसी" स्थल) और कंपनी लीज स्थलों के अन्तर्गत विज्ञापित लोकेशनों के लिए लीज करार में उप-लीज का प्रावधान होना चाहिए।

डीलर के स्वामित्व वाले स्थल ("बी"/"डीसी" स्थलों), के मामले में आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदक द्वारा इंतजाम की गई भूमि या तो आवेदक के नाम पंजीकृत होनी चाहिए या आवेदक के पक्ष में न्यूनतम __ वर्षों की अवधि (संबन्धित तेल कंपनी द्वारा दिये गए विज्ञापन के अनुसार) की लीज पर दी गई हो।

ग) गुप 1 के अंदर आने वाले आवेदक/आवेदकों को डीलरशिप के लिए दी जाने वाली भूमि के स्वामित्व के समर्थन में निम्न में से कम से कम एक दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए:-

- खसरा / खतौनी या अन्य कोई समतुल्य राजस्व दस्तावेज या राजस्व पदाधिकारी से प्रमाण-पत्र जो भूमि के स्वामित्व की स्थिति की पुष्टि करे।
- पंजीकृत / बिक्री विलेख (सेल डीड) / पंजीकृत उपहार विलेख (गिफ्ट डीड)
- कम से कम __ वर्षों की अवधि (संबन्धित तेल कंपनी द्वारा दिये गए विज्ञापन के अनुसार) के लिए पंजीकृत लीज डीड।
- किसी अन्य तरह का स्वामित्व / ट्रांसफर डीड दस्तावेज
- सरकार / अर्द्ध सरकारी निकाय द्वारा जारी लीज करार या पुष्टिकृत आबंटन पत्र

- घ) परिवार के सदस्य के मालिकाना हक वाली भूमि (परिवार के रूप में "परिवार इकाई" आएगी, जैसा कि खंड 10 "अयोग्यता" के अंतर्गत बहुविध डीलरशिप मानदण्ड में परिभाषित किया गया है) पर आवेदक की भूमि के रूप में विचार किया जाएगा बशर्ते "परिवार इकाई" के उस संबंधित व्यक्ति से शपथ-पत्र (परिशिष्ट Vए) सहमति पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
- च) आवेदक द्वारा अधिवक्ता से प्राप्त पुष्टिकृत पत्र (परिशिष्ट V बी) के आधार पर तेल कंपनी द्वारा भूमि की उपयुक्तता पर निर्णय लिया जाएगा।
- छ) यदि आवेदक अथवा उनके "परिवार इकाई" का सदस्य / के सदस्य, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमि का मालिकाना हक रखते हैं तो उस तीसरे व्यक्ति से भूमि के इस तरह के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट रूप से आवेदक के पक्ष में शपथ-पत्र (परिशिष्ट - V ए) या पावर ऑफ एटर्नी की भी देने की आवश्यकता है।
- ज) भूमि के "फर्म ऑफर" में खरीद/दीर्घ अवधि लीज़ (तेल विपणन कंपनियों (OMC) के नियमों और शर्तों के अनुसार) पर आधारित तीसरे पक्ष से भूमि का प्रस्ताव शामिल होगा। प्रस्ताव पत्र को शपथ-पत्र (परिशिष्ट -Vए), अथवा इस प्रयोजन के लिए पावर ऑफ अटर्नी के रूप में होना चाहिए और साथ में डीलरशिप के लिए प्रस्तावित भूमि के समर्थन में उल्लिखित , (ग) के अनुसार एक दस्तावेज़ संलग्न किया जाना चाहिए।

झ) मालिकाना / "फर्म ऑफर" परिभाषित करने के लिए मालिकाना हक की विभिन्न स्थितियाँ निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	मालिकाना हक की स्थिति	भूमि में आवेदक का हिस्सा	आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज़	यथा मूल्यांकित
ग्रुप 1				
1	स्वयं की	पूरा	शून्य	खुद की भूमि मानी जाएगी
2	परिवार के सदस्यों के साथ स्वयं का या केवल परिवार के सदस्यों की	आंशिक/शून्य	परिवार इकाई के सदस्यों से शपथ-पत्र के रूप में सहमति पत्र - परिशिष्ट V ए	खुद की भूमि मानी जाएगी
3	<ul style="list-style-type: none"> दूसरे मालिकों के साथ खुद की दूसरे मालिकों/मालिकों के साथ परिवार के सदस्य की परिवार के सदस्यों और दूसरे मालिकों के साथ खुद की 	<p>आंशिक</p> <p>शून्य</p> <p>आंशिक</p>	<p>यदि कंपनी द्वारा आवश्यक भूमि के बराबर या उससे अधिक भूमि आवेदक और / या परिवार के सदस्यों की हिस्सेदारी में हो।</p> <p>सभी सह मालिक/मालिकों से स्टैम्प पेपर पर सहमति पत्र या पावर ऑफ एटर्नी प्रस्तुत की जानी चाहिए - (परिशिष्ट - V ए)</p>	खुद की भूमि मानी जाएगी
4	सरकारी / अर्द्धसरकारी निकायों की भूमि	पूरी	खुद के नाम पर सरकारी / अर्द्धसरकारी निकायों से आबंटन पत्र जिसमें पेट्रोल पंप के प्रयोग का	खुद की भूमि मानी जाएगी

			विशेष उल्लेख हो।	
गुप 2				
5	आंशिक या पूरी तरह तीसरे पक्ष की भूमि	आंशिक / शून्य	मालिक/मालिकों से शपथ-पत्र पावर ऑफ एटर्नी के रूप में सहमति पत्र	"फर्म ऑफर"

- ट) हर आवेदक को आवेदन पत्र में उस श्रेणी को घोषित करना होगा जिसके अंदर वह भूमि आती है। इसके समर्थन में अधिवक्ता (परिशिष्ट v बी) से पुष्टिकृत पत्र भी देना होगा जिसमें मौजूदा मालिकाना हक का विवरण, जोड़े गए दस्तावेज और जिस श्रेणी में भूमि आती है (गुप 1/गुप 2) के बारे में बताया गया हो। आवेदक की भूमि किस गुप में आती है और उसकी योग्यता का निर्धारण इस बात के आधार पर होगा कि आवेदन में क्या घोषित किया गया है, वकील का पुष्टिकृत पत्र और इस संबंध में शपथ पत्र (परिशिष्ट x ए/बी, जो भी लागू हो) में क्या उल्लिखित हैं।
- ठ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत समर्थक दस्तावेजों का सत्यापन चुने गए उम्मीदवारों के प्रत्यय-पत्रों के फील्ड सत्यापन के समय किया जाएगा।

टिप्पणी :

- क) खुद की भूमि से तात्पर्य है पंजीकृत बिक्री विलेख, पंजीकृत उपहार विलेख आदि के माध्यम से मालिकाना हक प्राप्त करना अथवा आवेदक / "परिवार इकाई" के नाम से पंजीकृत दीर्घ अवधि लीज़ (व्यक्तिगत तेल विपणन कंपनियों (OMC) मानदण्डों के अनुसार) जैसा कि खंड 10 (अयोग्यता) के अन्तर्गत बहुविध डीलरशिप मानदण्ड में परिभाषित किया गया है।
- ख) आवेदक द्वारा केवल एक ही उपयुक्त भूमि को प्रस्तावित करना है।
- ग) उक्त के बाद भी यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक भूमि का प्रस्ताव दिया गया हो तो मूल्यांकन हेतु, भूमि मूल्यांकन समिति (एलईसी) द्वारा आवेदक से प्रस्तावित किसी एक भूमि पर विचार करने हेतु लिखित पुष्टि प्राप्त करनी होगी।
- घ) विज्ञापन में दिए गए किसी भी एक रिटेल आउटलेट की लोकेशन के लिए एक से ज्यादा आवेदकों द्वारा एक ही भूमि (same land) का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। यदि एक से ज्यादा आवेदकों द्वारा उसी भूमि का प्रस्ताव दिया जाता है तो ऐसे सभी आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।
- च) चुने गए उम्मीदवार को प्रस्तावित भूमि सड़क स्तर तक यथा विकसित कर देनी होगी यानि संबंधित ओमएसी की संतुष्टि तक मानक इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुसार गुड अर्थ / मुरूम सहित कटिंग / फिलींग (यथा लागू) एवं लेयर वाइज़ तैयार कर देनी होगी। चुने गए उम्मीदवार को तेल विपणन कंपनियों (OMC) के अनुमोदन के अनुसार स्थल को शर्तों के अनुरूप डिजाइन की गई न्यूनतम 1.5 मीटर ऊंची रिटर्निंग वॉल और कम्पाउंड वॉल भी बनाकर देनी होगी।
- छ) आवेदक से प्रस्तावित भूमि लेने के लिए तेल कंपनी पर किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है। यदि चुने जाने के बाद आवेदक आवेदन में बताई गई भूमि आशय पत्र की तारीख से 2 महीने (गुप 1 के लिए) और 4 महीने (गुप 2 के लिए) की अवधि के अंदर देने में असमर्थ रहता तो तेल कंपनी के पास डीलरशिप आबटन के लिए चुने गए आवेदक के पक्ष में जारी एलओआई (आशय-पत्र) रद्द करने / वापस ले के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

(vii) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में आवेदन के लिए विशिष्ट योग्यता मानदण्ड निम्नानुसार है:

क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अजा/अजजा) :

भारत के संविधान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार योग्य माने जाएंगे। आवेदक को आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें आवेदक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने की परिशिष्ट -VI के अनुसार पुष्टि की गई हो। (परिशिष्ट VI)

ख) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-OBC)

भारत के संविधान के अंतर्गत भारत सरकार (केन्द्रीय सरकार) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार और/या जिस लोकेशन का विज्ञापन आया हो वहाँ से संबंधित व्यक्ति को संबंधित राज्य द्वारा अपिव की मान्यता दी गई हो, ऐसा व्यक्ति योग्य माना जाएगा।

उम्मीदवार को आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित और/या संबंधित राज्य जिसमें विज्ञापित लोकेशन आता है द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। इसे भारत सरकार (केन्द्रीय सरकार)/राज्यसरकार द्वारा जारी संकल्प/गजेट अधिसूचना में मान्यता प्राप्त हो। अपिव प्रमाण-पत्र के साथ (परिशिष्ट -VII ए) भी प्रस्तुत करना होगा कि वह अपिव से संबंधित है और गैर क्रीमी लेयर तबके की स्थिति को पूरा करता /करती है। वचन पत्र (परिशिष्ट VII बी) की तारीख को उम्मीदवार के अपिव स्थिति की गणना की तारीख के रूप में देखा जाएगा और साथ ही यह भी माना जाएगा कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आता है।

ग) रक्षा कार्मिक (DEF)

रक्षा कार्मिक यानि सशस्त्र बलों (जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना) के कार्मिक और इसमें आएंगे: -

- युद्ध में अथवा श्रेय देने योग्य कारणों से मारे गए सक्रिय सशस्त्र बलों के सदस्यों की विधवाएँ /आश्रित
- भूतपूर्व सैनिक जो युद्ध के दौरान विकलांग हो गए / श्रेय देने योग्य कारणों से शांति प्रक्रिया में विकलांग हुए।
- शारीरिक दृष्टि से सक्षम भूतपूर्व सैनिक

उपरोक्त (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाले श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को डीलरशिप के लिए योग्यता प्रमाण पत्र पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, प्राप्त करना होगा जिसमें उम्मीदवार को उनके द्वारा आवेदित डीलरशिप के लिए प्रायोजित किया हो। एक स्थल के डीलरशिप के लिए दिया गया प्रयोजन प्रमाण पत्र दूसरे स्थान के लिए मान्य नहीं होगा। आवेदक उस स्थान के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब उनका योग्यता प्रमाण पत्र वर्तमान विज्ञापन के संदर्भ में हो।

टिप्पणी : इस श्रेणी के अंतर्गत ड्रा होने/ बोली (Bid) के खुलने वाले दिन भी आवेदक डीजीआर से प्राप्त मूल योग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि, केवल ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ड्रा/ बोली (Bid) के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। डीजीआर प्रमाण पत्र आवेदन के साथ या ड्रा होने/ बोली (Bid) के खुलने के समय दिया जा सकता है। आवेदन भेजने के बाद प्रमाण - पत्र डाक से नहीं भेजा जाना चाहिए।

उक्त (iii) के अंतर्गत आने वाली श्रेणी में आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार को डिस्चार्ज ऑर्डर या पेंशन ऑर्डर की प्रति संलग्न करनी चाहिए।

घ) सरकार (पीएमपी समेत) और सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिक

केन्द्रीय / राज्य सरकारों और केन्द्रीय / राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न विभागों में सेवारत कार्मिक जो इयूटी पर रहते हुए असमर्थ या विकलांग हो गए हैं वे इस श्रेणी के अंतर्गत योग्य माने जाएंगे। इयूटी करते समय मृत्यु के मामले में उनकी विधवाओं/आश्रितों को इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र माना जायेगा।

इस श्रेणी के आवेदकों को संबंधित संगठन / सरकारी विभाग से प्रासंगिक प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी चाहिए। प्रमाण पत्र पर कार्यालय के प्रमुख या सरकार के अवर सचिव या उसके ऊपर के दर्जे के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। (परिशिष्ट VIII)

च) शारीरिक विकलांगता श्रेणी (पीएच) :

इस श्रेणी के अंतर्गत उन उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा जो शारीरिक रूप से विकलांग, कम से कम 40% स्थायी या आंशिक रूप से शरीर के ऊपरी या निचले हिस्से या 50% स्थायी/आंशिक रूप से शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से में एक साथ हो इसके लिए अमेरिकन अकादमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, यूएसए द्वारा लाई गई "स्थायी शारीरिक विकलांगता का मूल्यांकन करने वाली ऑर्थोपेडिक सर्जन विवरणिका " और उनकी ओर से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कौपरेशन, जी.टी. रोड, कानपुर द्वारा प्रकाशित इस विवरणिका में समाविष्ट मानदण्डों को लागू किया जाएगा।

मूक - बधीर एवं नेत्रहीन व्यक्ति जिनकी देखने, सुनने एवं बोलने में न्यूनतम 40% असमर्थता हो वे इस श्रेणी के अंतर्गत रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन के योग्य माने जाएंगे। तथापि पूरी तरह नेत्रहीन व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे।

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को प्रमाणपत्र (आवेदन फॉर्म में दिए गए मानक फॉर्म के अनुसार) प्रस्तुत करना चाहिए। ये प्रमाणपत्र विभिन्न विकलांगताओं के मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के लिए दिशा - निर्देश पर दिनांक 13 जून 2001, क्रमांक 154 असाधारण भारत का गेजेट, नई दिल्ली के अनुसार केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा यथा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।

आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ प्रमाणपत्र (परिशिष्ट -IX) की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

छ) अभूतपूर्व खिलाड़ी (ओएसपी-OSP) :

निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:

- अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता/खेल रत्न प्राप्तकर्ता
- ओलम्पिक / एशियाई / कामनवेल्थ खेलों में मेडल विजेता और स्वीकृत विश्व चैम्पियन / विश्व चैम्पियन
- सीनि. लेवल (पुरुष एवं महिलाएं) के लिए आयोजित मान्यता प्राप्त नैशनल चैम्पियन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वालों को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय फेडरेशन से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (युवा मामलों एवं खेल-कूद विभाग, भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त) आयोजित करता है अथवा युवा मामलों एवं खेल-कूद विभाग, भारत सरकार से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ज) स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ-FF) :

इस श्रेणी के व्यक्तियों को अपना स्वतंत्र सेनानी होने के प्रमाण के रूप में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमाण पत्र या ताम्र-पत्र की एक प्रति या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता सैनिक

सम्मान पेंशन की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय से स्वीकृति पत्र के अनुसरण में महालेखाकार द्वारा जारी किए गए पेंशन की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(viii) **पार्टनरशिप के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों की विशिष्ट आवश्यकताएँ:**

पार्टनरशिप के मामले में हर एक पार्टनर को आयु एवं शिक्षा के प्राचलों पर एक व्यक्ति के रूप में अर्हता पूरी करना चाहिए। भूमि और वित्त जो पार्टनर / पार्टनरों की है उसे संपूर्ण रूप से प्रस्तावित फर्म के रूप में योग्यता की दृष्टि से देखा जाएगा।

प्रत्येक पार्टनर अलग-अलग आवेदन के साथ न लौटाई जाने योग्य अलग-अलग आवेदन शुल्क जमा करेगा। तथापि सारे आवेदन एक साथ भेजने होंगे। उन्हें आवेदन के साथ प्रस्तावित पार्टनरशिप डीड की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

तथापि आवेदक को केवल एक आर्थिक बोली (Financial Bid) और अपने आवेदन के लिए आरंभिक डाउन पेमेंट (IDP) जमा करना चाहिए।

5. गैर - व्यक्तिगत आवेदकों (एन्टीटी -Entity) का योग्यता मानदण्ड

गैर व्यक्तिगत एन्टीटी से तात्पर्य है सरकार निकाय/एजेन्सी, सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीज़ / को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीज़ अथवा संबंधित राज्यों द्वारा लागू को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, संबंधित राज्य सरकारों के चैरिटी कमीशनर के यहाँ पंजीकृत चैरिटी ट्रस्ट, कंपनीज़ एक्ट 1956/2013 के अंतर्गत गठित कंपनियाँ (प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को छोड़कर)।

गैर व्यक्तिगत आवेदक (एन्टीटी) जो विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं :

क. खुली श्रेणी :

गैर-व्यक्तिगत आवेदक, निम्न के अधीन 'खुली श्रेणी' में आवेदन के योग्य हैं: -

- (i) **आवासीय स्थिति:** एन्टीटी भारत में पंजीकृत होनी चाहिए। पंजीकृत को-ऑपरेटिव सोसाइटी/उपभोक्ता को-ऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में रिटेल आउटलेटके लिए आवेदन भेजने से पहले इसे संबंधित जिले में पंजीकृत होना चाहिए।
- (ii) **आयु:** पंजीकरण की तारीख / फर्म एन्टीटी समाहित करने की तारीख शपथ-पत्र की तारीख से कम से कम 3 साल पहले की होनी चाहिए (परिशिष्ट - xबी)
- (iii) **भूमि :** भूमि के मामले में "परिवार इकाई" की भूमि के लिए दिए गए खंडों को छोड़कर अन्य सभी शर्तें जो व्यक्तियों पर लागू होती हैं, वहीं इन पर भी लागू होंगी। अन्य शब्दों में प्रस्तावित भूमि ग्रुप 1 के लिए एन्टीटी के नाम पर या लम्बी लीज़ पर होनी चाहिए और ग्रुप 2 के लिए फर्म आफर एन्टीटी के नाम पर होनी चाहिए।
- (iv) **वित्त :** वित्त के मामले में "परिवार इकाई" की भूमि के लिए दिए गए खंडों को छोड़कर अन्य सभी शर्तें जो व्यक्तियों पर लागू होती हैं, वहीं इन पर भी लागू होंगी।

पंजीकृत सोसाइटीज़/कंपनियों ने पिछले लगातार 3 वित्तीय वर्षों में शुद्ध मुनाफा कमाना चाहिए जो सनदी लेखाकार द्वारा यथा प्रमाणित हो।

क) खुली श्रेणी के अलावा:

"खुली श्रेणी के अलावा" के अंतर्गत केवल पंजीकृत को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ आवेदन कर सकती हैं। पंजीकृत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा आरक्षित श्रेणियों के अंदर आवेदन करने के मामले में सोसाइटी के सभी सदस्य उसी श्रेणी के सदस्य होने चाहिए जिसके लिए रिटेल आउटलेट डीलरशिप का विज्ञापन दिया गया हो। सोसाइटी के रजिस्ट्रार से इस आशय का प्रमाण-पत्र और सोसाइटी के सभी सदस्यों के नामों की सूची भी देनी पड़ेगी। उन्हें ऊपर उल्लिखित योग्यता मानदण्डों को पूरा करना होगा।

टिप्पणी :

- क. डीलरशिप के लिए आवेदन भेजने वाले सभी गैर व्यक्तिगत एन्टीटीज़ को पात्र बनाने के लिए व्यक्तिगत आवेदकों के अन्तर्गत बताई गई भूमि एवं वित्त की जरूरतों को पूरा करना होगा। भूमि व वित्त संगठन के नाम से होना चाहिए किसी व्यक्ति के नाम से नहीं। उन्हें लागू मल्टीपल डीलरशिप मानदण्डों को भी पूरा करना पड़ेगा और साथ ही "अयोग्यता" खंड के अंदर उल्लिखित किसी भी अयोग्यता मानदण्ड से दूर होना चाहिए।
- ख. पंजीकृत को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अलावा अन्य कोई गैर व्यक्तिगत एन्टीटी ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए आवेदन हेतु पात्र नहीं है।
- ग. किसी भी रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आवेदन नहीं कर सकती।
- घ. पंजीकृत सोसाइटीज़/चैरिटेबल ट्रस्ट/कंपनियों का यथोचित संकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि ये दर्शाया जा सके कि इनकी ओर से आवेदन भेजने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का अधिकार है। एन्टीटी की तरफ से प्राधिकृत हस्ताक्षर करने वाले को भी यह वचन-पत्र देना होगा कि यह प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

6. रिटेल आउटलेट प्रबंधन

डीलरशिप के लिए चुने गए व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर डीलरशिप के मामलों की व्यवस्था करते हुए रोजमर्रा के कार्यों पर ध्यान देना होगा। वह अन्य कोई रोजगार नहीं कर सकता/सकती। यदि चुना गया उम्मीदवार पहले से रोजगार में है तो उसे रोजगार से इस्तीफा देना होगा और तेल कंपनी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले अपने नियोक्ता से इस्तीफा स्वीकार करने संबंधी पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आगे नियुक्त पत्र जारी करते समय आशय-पत्र धारक को नोटरीकृत शपथपत्र (परिशिष्ट - III) देना होगा जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि वह निजी क्षेत्र में नियुक्त नहीं है या राज्य/केन्द्र सरकार से किसी तरह का वेतन/पर्क परिलब्धियाँ प्राप्त नहीं कर रहा/रही है। एलओआई धारक को यह भी आश्वासन देना होगा कि डीलरशिप चलाने की अवधि के दौरान वह किसी निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं करेगा/करेगी या राज्य /केन्द्र सरकार से किसी तरह का वेतन / पर्क / परिलब्धियाँ नहीं लेगा/लेगी।

डीलरशिप के लिए चुने गए गैर व्यक्तिगत आवेदकों को डीलरशिप करार के प्रावधानों के अनुरूप अपने खुद के कर्मचारी/कर्मचारियों के नियंत्रण / निरीक्षण के अधीन डीलरशिप के रोजाना काम-काज / मामलों की देखरेख करनी होगी।

7. डीलरशिप में पति/पत्नी की सहभागिता

व्यक्तिगत आवेदकों के मामले में, एकमात्र स्वामित्व के रूप में आवेदन करने पर उम्मीदवार के पति/पत्नी को एलओआई जारी करने के बाद 50% के हिस्से के साथ पार्टनर बना दिया जाएगा सिवाय उस स्थिति में जहां पति/पत्नी किसी लाभदायक नियोजन में न हों और / या पार्टनर बनना न चाहते हों। यदि एलओआई जारी करने के समय आवेदक अविवाहित /तलाकशुदा/विधवा/विधुर हो तो उसे यह वचन पत्र देना होगा कि जब कभी भी वह शादी करेगा /करेगी उसकी पत्नी / पति को पार्टनर बनाया जाएगा सिवाय उस स्थिति में जहां वह किसी लाभदायक नियोजन में अन्यथा न हो और/या पार्टनर बनना न चाहते हों। डीलर चयन के लिए योग्यता मापदण्ड को संतुष्ट करने की जरूरत के बिना भी पति/पत्नी की पार्टनरशिप पर विचार किया जाएगा। तथापि उन्हें मल्टीपल डीलरशिप मानदण्डों के प्रावधानों को, दोष सिद्ध खंड को पूरा करने के साथ यह शर्त भी पूरी करनी होगी कि वे साबित हुए कदाचार(malpractice) आदि के लिए समाप्त की गई डीलरशिप/डिस्ट्रिब्युरशिप के हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे। यदि पति/पत्नी को पार्टनर बनाया

जाता है तो पति/पत्नी से एक अलग शपथ पत्र (परिशिष्ट X ए के अनुसार) , प्रस्तावित पार्टनरशिप डीड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज पार्टनर के रूप में लिए जाने पूर्व/एल ओ ए जारी करने से पहले किलए जाने चाहिए। (क) विवाहित आवेदकों / आबंटियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व अथवा (ख) अन्य मामलों में शादी के एक साल पहले पति/पत्नी को सह मालिक के रूप में शामिल करने के लिए पुनर्गठन नीति के प्रावधान लागू नहीं हैं।

पति/पत्नी को पार्टनर बनाने के लिए, एलओआई प्रदान करने के बाद, **परिशिष्ट II ए** के अनुसार एक पत्र के साथ, **परिशिष्ट II बी** के अनुसार पति/पत्नी से शपथ-पत्र लिया जाएगा और पार्टनरशिप डीड आदि के पंजीकरण के संबंध में आवश्यक दस्तोवज आवेदक/आवेदकों द्वारा एल ओ ए जारी करने से पहले पूरे किए जाएंगे। इसके पश्चात दोनों पार्टनरों द्वारा डीलरशिप करार पर हस्ताक्षर करने के साथ एल ओ ए जारी किया जाएगा।

यदि लाभदायक नियोजन या किसी अन्य कारण से पति/पत्नी पार्टनर न बनना चाहे तो **परिशिष्ट II बी** के अनुसार रेकार्ड के लिए शपथ-पत्र प्राप्त करना चाहिए।

उक्त बताए गए खण्ड के अंतर्गत पति/पत्नी को छोड़कर आवेदक अन्य किसी के भी साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता।

8. रिटेल आउटलेट डीलरशिप के परिचालन हेतु आवश्यक मूल सुविधाएँ

रिटेल आउटलेट में निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए: स्थल के प्रकार को देखते हुए डीलर (कॉर्पोरेशन द्वारा यथा सूचित)/ कॉर्पोरेशन द्वारा प्रत्येक प्रकार की सुविधाएँ निम्नानुसार प्रदान करनी चाहिए:

क्रम सं.	सुविधा के प्रकार	स्थल के प्रकार	
		सीएफएस-CFS लोकेशनों सहित "ए" / "सीसी" स्थल	"बी" / "डीसी" साइट / कंपनी लीज़ साइट
		निम्न द्वारा सुविधा का प्रावधान:	
क	आधारभूत सुविधाएँ:		
i.	बाउंड्री / कम्पाउंड वॉल सहित विकसित भूमि कॉर्पोरेशन के विनिर्देशों के अनुसार	डीलर	डीलर
ii.	टैंक, डिस्पेंसिंग यूनिट्स, साइनेज, ऑटोमेशन आदि	कॉर्पोरेशन	कॉर्पोरेशन
iii.	सेल्स ऑफिस, स्टोर रूम, टॉयलेट, इलेक्ट्रिकल रूम, वॉटर कनेक्शन, यार्ड लाइटिंग आदि	कॉर्पोरेशन	डीलर
iv.	जनरेटर/इनवर्टर	डीलर	डीलर
v.	एयर फिलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेज सहित कम्प्रेसर (ओमसी द्वारा निर्धारित)	कॉर्पोरेशन / डीलर	डीलर
vi.	ड्राइव वे	कॉर्पोरेशन	डीलर
vii.	कैनॉपी (कॉर्पोरेशन की आवश्यकता नुसार)	कॉर्पोरेशन	डीलर
ख	ग्राहकों के लिए सुविधाएँ:		

i.	साफ पीने का पानी, टायलेट का साफ रखरखाव, टेलिफोन आदि	डीलर	डीलर
----	---	------	------

ग) **स्थल विशिष्ट अतिरिक्त सुविधाएँ** ग्राहक सेवा के लिए आवश्यक है जैसे स्टाफ के चेंज रूम, सर्विस स्टेशन, आराम कक्ष, भोजनालय, पीयूसी सुविधा और/अन्य ऐसी सुविधाएँ जो समय-समय पर तेल कंपनी द्वारा बताई जाती हैं और जो तेल कंपनी/चयनित डीलर द्वारा यथा योग्य प्रदान की जाती हैं।

घ) **अग्नि शमन एवं सुरक्षा उपकरण**

वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार डीलर रिटेल आउटलेट में अग्नि शमन/सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा और अपने संसाधनों से उन्हें अच्छी कार्यकारी स्थिति में रखेगा। इसे चलाने और इसका रख-रखाव करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।

च) **आवश्यक निवेश:**

नए रिटेल आउटलेट में अवसंरचना के विकास के लिए आवश्यक अनुमानित निवेशों की सूचना विज्ञापन में दी जाएगी।

छ) **वैधानिक अनुमोदन/लाइसेंस:**

चुने गए डीलर, डीलरशिप चलाने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक अनुमोदन/लाइसेंस प्राप्त करेंगे।

ज) **लाइसेंस फीस:**

कॉर्पोरेशन का अपना "ए" / "सीसी" स्थल जिसमें अजा/अजजा श्रेणी के डीलरशिप के लिए कॉर्पस फंड स्कीम के अंतर्गत विकसित रिटेल आउटलेट भी शामिल है, के मामले में प्रति केएल देय लाइसेंस फीस डीलर से समय-समय पर लागू रूप से वसूली जाएगी। वर्तमान में यह पेट्रोल (MS) के लिए रु.48/कि.ली. और डीजल (HSD) के लिए रु.41/कि.ली. है।

डीलर के स्वामित्व वाले "बी" डीसी स्थल रिटेल आउटलेटके मामले में यथा लागू लाइसेंस फीस कम दर पर वसूल की जाएगी जो वर्तमान में पेट्रोल (MS) के लिए रु.18/कि.ली. और डीजल (HSD) के लिए रु.16/कि.ली. है।

कुछ मामलों में भूमि और सुपर स्ट्रक्चर (डीलर द्वारा निर्मित) चुने गए प्रत्याशी से लीज पर लिया जाएगा। आपसी सहमति से तय किराया तेल कंपनी द्वारा दिया जायगा जिसे डीलरशिप से अतिरिक्त लाइसेंस फीस के रूप में वसूल किया जाएगा। ऐसे मामलों में यथा लागू लाइसेंस फीस कम दर पर वसूल की जाएगी जो वर्तमान में पेट्रोल (MS) के लिए रु.18/कि.ली. और डीजल (HSD) के लिए रु.16/कि.ली. है।

9. "कॉर्पस फंड स्कीम" के अंतर्गत अजा/अजजा श्रेणी को आर्थिक सहायता की स्कीम

अजा/अजजा श्रेणी से संबंधित लोगों को डीलरशिप देने पर तेल कंपनी निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदाना करेगी:

- अजा/अजजा श्रेणियों के लिए आरक्षित लोकेशनों के संबंध में तेल कंपनी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित भूमि पर कंपनी आपसी सहमति वाली शर्तों के आधार पर अपने खर्च से आवश्यक सुविधाओं वाला तैयार रिटेल आउटलेट बनाकर देगी।
- डीलरशिप के परिचालन के एक पूरे परिचालन चक्र के लिए तेल कंपनी पर्याप्त कार्यशील पूंजी ऋण भी प्रदान करेगी। कार्यशील पूंजी और उस पर 11% प्रति वर्ष ब्याज दोनों डीलरशिप शुरू होने के 13वें महीने से 100 समान मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा।

10. अयोग्यता

क) व्यक्तिगत आवेदक :

उपर बताए गए योग्यता मानदण्डों को पूरा करते समय उम्मीदवार यदि निम्न में से किसी भी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता तो उसे डीलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा:-

- (i) बहुविध (मल्टीपल) डीलरशिप मानदण्ड पूरे करें: मल्टीपल डीलरशिप / डिस्ट्रिब्यूटरशिप मानदण्डों से तात्पर्य है कि आवेदक या "परिवार इकाई" के अन्य किसी सदस्य के पास अन्य किसी तेल कंपनी की डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप का आशय-पत्र (एल ओ आई) न हो या कंपनी की डीलरशिप / डिस्ट्रिब्यूटरशिप न हो यानि "परिवार इकाई" को केवल एक रिटेल आउटलेट/एसकेओ - एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप या तेल कंपनी की एक एलओआई की ही अनुमति होगी।

विवाहित आवेदक के मामले में "परिवार इकाई" से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, उसकी पत्नी/उसके पति तथा अविवाहित पुत्र / पुत्रियाँ। अविवाहित व्यक्ति आवेदक के मामले में "परिवार इकाई" से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, उसके माता-पिता, उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहन/बहनें। तलाक के मामले में "परिवार इकाई" से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्री/ पुत्रियाँ जिसकी कस्टडी संबंधित व्यक्ति को दी गई है। विधवा / विधुर के मामले में "परिवार इकाई" से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्री/पुत्रियाँ।

इस उद्देश्य से तेल कंपनियों गजेट अधिसूचना 2002 के अनुसार निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को भी शामिल करेगी।

इसके अलावा यह भी होना चाहिए :

- (ii) नैतिक अधमता (moral turpitude)/ आर्थिक अपराधों (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) जुड़े किसी आपराधिक गुनाह के लिए दोषी करार नहीं होना चाहिए।
- (iii) साबित कदाचारों के लिए समाप्त कर दी गई डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं होना चाहिए।
- (iv) मानसिक रोगी/पूर्णतः पंगू न हो
- (v) अपने "परिवार" के सदस्यों के पक्ष में रिटेल आउटलेटडीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप / एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के एकमात्र स्वामित्व के रूप में इस्तीफा दिया नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा,

- (vi) तेल विपणन कंपनियों के कर्मचारियों (जो आवेदन के समय नियोजित हों) के परिवारिक सदस्यों (मल्टीपल डीलरशिप मानदण्ड के अंतर्गत परिभाषा के अनुसार) को रिटेल आउटलेटडीलरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।

पार्टनरशिप फर्म

व्यक्तियों के लिए ऊपर बताई गई शर्तें पार्टनरशिप फर्म के प्रत्येक पार्टनर पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगी।

ख. गैर - व्यक्तिगत आवेदक (एन्टिटी)

एन्टिटी द्वारा योग्यता मानदंड में निम्नलिखित में से कोई भी अपेक्षा पूर्ण न करने की स्थिति में एन्टिटी को डीलरशिप के लिए आवेदन करने हेतु अयोग्य माना जायेगा :-

(i) **बहुविध डीलरशिप मानदंड** : विभिन्न गैर-व्यक्तिगत (एन्टिटियों) के लिए बहुविध डीलरशिप मानदंडों की प्रयोज्यता निम्नानुसार होगी :

कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के लिए: कोई भी रिटेल आउटलेट डीलरशिप/एसकेओ - एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप यदि निम्नलिखित में से किसी के स्वामित्व में हो तो आवेदक कंपनी रिटेल आउटलेट/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए पात्र नहीं होगी :-

- कोई भी निदेशक या उनके परिवार के सदस्य (जो व्यक्तिगत के लिए बहुविध डीलरशिप मानदंडों के मामले में परिभाषित परिवार के अंतर्गत आते हो)।
- नियंत्रक कंपनी या सहायक कंपनी।
- अन्य कोई कंपनी या फर्म (एकीकृत) जिसमें आवेदक कंपनी के शेयरधारकों की 51% या अधिक नियंत्रण हिस्सेदारी हो।

(ii) कोई भी व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनी, न्यास या सोसाइटी के पास पहले से ही रिटेल आउटलेट /एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप है और यदि ऐसी कंपनी में जिनके पास रिटेल आउटलेट/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप है और नियंत्रण हिस्सेदारी अधिग्रहित करती है तो अधिग्रहणकर्ता के रिटेल आउटलेट /एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप को समाप्त किया जा सकता है।

(iii) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र इकाईयों या सरकार प्रशासित संगठन के साथ प्रमुख हिस्सेदारी रखनेवाली कंपनियां जिन्हें सरकार के स्वामित्व की कंपनियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, को उक्त बहुविध डीलरशिप मानदंडों में छूट है।

(iv) संबंधित राज्य सरकार के पूर्व आयुक्त के पास पंजीकृत न्यासों तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी/सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 या संबंधित राज्यों द्वारा अधिनियमित के रूप में सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत सोसाइटी:

यदि किसी एन्टिटी के अधिशासी निकाय/प्रबंध निकाय/अन्य ऐसे किसी निकाय के सदस्य या उनके परिवार के सदस्य (परिवार जो व्यक्तिगत के लिए बहुविध डीलरशिप मानदंडों में परिभाषित किया गया है) के पास कोई भी रिटेल आउटलेट /एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप है, तो ऐसी एन्टिटी, रिटेल आउटलेट/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए पात्र नहीं होगी।

(v) कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत समाहित कंपनी, पंजीकृत सोसाइटी/न्यास, की अधिशासी / प्रबंध समिति के किसी भी सदस्य को ऐसे किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया न हो जो नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर) के लिए कानून के तहत दंडनीय हो।

(vi) कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत समाहित कंपनी, पंजीकृत सोसाइटी/न्यास, को ऐसे किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया न हो जो नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर) के लिए कानून के तहत दंडनीय हो।

(vii) पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट/कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत समाहित कंपनी के अधिशासी/प्रबंध समिति का कोई भी सदस्य, किसी भी तेल कंपनी के ऐसे डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप करार के हस्ताक्षरी न हो जिसे कदाचार और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (MDG) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए समाप्त किया हो।

(viii)पंजीकृत सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत समाहित कंपनी, किसी भी तेल कंपनी के डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप करार के हस्ताक्षरी न हो जिसे कदाचार और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए समाप्त किया हो।

टिप्पणी : सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र इकाईयों या सरकार प्रशासित संगठन के साथ प्रमुख हिस्सेदारी रखनेवाली कंपनियां जिन्हें सरकार के स्वामित्व की कंपनियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, को उक्त शर्त लागू नहीं है।

11. शपथपत्र

आवेदक को परिशिष्ट -x ए (व्यक्तिगत) और परिशिष्ट - x बी (गैर - व्यक्तिगत) के अनुसार तथ्यों की पुष्टि करते हुए मानक फार्मेट में शपथपत्र के आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी :

- सभी शपथपत्र, संबंधित राज्य में लागू उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर मूल रूप से प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
- सभी स्टैम्प पेपर साक्षी के नाम से खरीदे गये होने चाहिए।
- सभी शपथपत्र विज्ञापन की तिथि के बाद किये जाने चाहिए।

12. आवेदन शुल्क

केवल तेल कंपनी के पक्ष में शेड्यूल्ड बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा रू.100/- ग्रामीण रिटेल आउटलेटके लिए (अजा/अजजा कैटेगरी लोकेशनों के लिए रू.50/-) , सामान्य रिटेल आउटलेट के लिए रू.1000/- (अजा/अजजा कैटेगरी लोकेशनों के लिए रू.(500/-) अप्रतिदेय, आवेदन शुल्क देना होगा।

एक आवेदक एक लोकेशन के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अंत में ड्रॉ निकालने, या बिडिंग प्रक्रिया के लिए केवल एक ही आवेदन का विचार किया जायेगा। आवेदक द्वारा अन्य सभी आवेदनों के साथ प्रस्तुत अप्रतिदेय आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

13. अप्रतिदेय निर्धारित शुल्क/ बिडिंग राशि

- (i) खण्ड 3 में परिभाषित किये अनुसार डीलर की स्वामित्ववाली/कंपनी लीज की में भूमि के मामले , ग्रामीण आरओ के लिए गैर-वापसी योग्य निर्धारित शुल्क रू.5 लाख तथा नियमित आरओ के लिए रू.15 लाख है जो अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर देय होगा।
- (ii) कॉर्पोरेशन के स्वामित्व के स्थलों (सीएफएस के अलावा) के मामले में आबंटन हेतु बोली लगाने हेतु ग्रामीण आरओ के लिए न्यूनतम गैर - वापसी योग्य बोली राशि रु 10 लाख और नियमित आरओ के लिए रु 30 लाख है, जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर देय होगा । आवेदक को आवेदन के साथ, आरंभिक तत्काल अदायगी (आई डी पी) के रूप में ग्रामीण आर रो के लिए रु 50000/- और नियमित आर रो के लिए रु 1.5 लाख जमा करने होंगे। सफल उम्मेदवारों से प्राप्त आरंभिक तत्काल अदायगी को बोली की देय राशि में समायोजित किया जाएगा।
- (iii)अयोग्य/असफल उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की तिथि से 60 दिनों के अंदर या बोली (Bid) ओपनिंग की तिथि से 15 दिनों के अंदर, जो भी पहले हो, आईडीपी (IDP) राशि लौटाई जायेगी।

(iv) यदि उच्चतम बोली (Bid) लगाने वाला, निर्धारित समय के अंदर बिडिंग की कुल राशि का भुगतान करने में असमर्थ है, या किसी कारण वश अपनी बिडिंग वापस लेता है, तो उसका चयन रद्द माना जायेगा और आईडीपी जब्त किया जायेगा।

14. चयन प्रक्रिया

चयन मूलतः ड्रॉ निकालकर या बोली द्वारा किया जायेगा जो खण्ड 3 में परिभाषित अनुसार रिटेल आउटलेट के प्रकार पर निर्भर है। इसे विज्ञापन में प्रत्येक लोकेशन के सामने भी दर्शाया जायेगा।

क. ड्रॉ निकालना

निम्नलिखित हेतु योग्य उम्मीदवारों के बीच ड्रॉ निकालकर तथा निम्न पैरा में दिये गये प्रक्रिया विवरण के अनुसार चयन किया जायेगा :

- कॉर्पस फंड योजना के अधीन कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले आउटलेट्स
- कंपनी लीज
- डीलर के स्वामित्व में डीलर द्वारा परिचालित आउटलेट्स (“बी”/ “डीसी” साइट्स)

ख. बोली की (बिडिंग-biding) प्रक्रिया

उक्त उल्लिखित कॉर्पस फंड लोकेशनों को छोड़कर, कॉर्पोरेशन के स्वामित्व में डीलर द्वारा परिचालित साइट्स (“ए” / “सीसी” साइट्स) हेतु बिडिंग प्रक्रिया द्वारा चयन किया जायेगा। तथापि, बिड की राशि समान होनेपर, करार किये बिडों के बीच ड्रॉ निकालकर चयन किया जायेगा।

ग. विज्ञापन :

दो समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर उचित कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित कर चयन किया जायेगा। इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र भरने के लिये इस विवरणिका का प्रयोग करें।

घ. आवेदन प्राप्त करने की कट-ऑफ तारीख :

कॉर्पोरेशन के नामित कार्यालय में आवेदन भेजने की तिथि एवं समय के बारे में विज्ञापन में स्पष्ट किया जायेगा। कट-ऑफ तारीख के बारे में विज्ञापन में उल्लेख किया जायेगा। आवेदक को सुनिश्चित करना होगा कि उनका आवेदन विज्ञापन में उल्लिखित कट-ऑफ तारीख एवं समय से पूर्व, कॉर्पोरेशन के नामित कार्यालय में भेजा जाता है।

ऑन-लाइन आवेदन करनेवाले उम्मीदवारों के लिए, आवेदन भेजने की अंतिम तिथि वही होगी। इसके अलावा, हस्ताक्षर एवं संबद्ध दस्तावेजों की कॉपियों सहित ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी, तेल विपणन कंपनियों (OMC) के नामित कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

डाक में हुए विलंब सहित निर्दिष्ट समापन तिथि एवं समय के बाद प्राप्त हुए आवेदनों का विचार नहीं किया जायेगा। तथा ऐसे मामलों में, जो भी हों, कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के मामले में, किसी भी तकनीकी कारण से नियत तिथि एवं समय पर ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत न करने पर कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा तथा बाद में निवेदन प्रस्तुत करने संबंधी निवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

च. आवेदन फॉर्म:

रिटेल आउटलेटडीलरशिप हेतु, आवेदन प्रपत्र, इस विवरणिका में (परिशिष्ट XI ए) (व्यक्तिगत आवेदकों के लिए) और (परिशिष्ट XI बी) (गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए) में उपलब्ध है। कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर इसे विवरणिका के भाग के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है तथा इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदकों को (परिशिष्ट XIII ए) (व्यक्तिगत आवेदकों के लिए) / (परिशिष्ट XIII बी) (गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए) के अनुसार जाँच सूची भरकर आवेदन प्रपत्र के उपर लगाकर संलग्न करना होगा।

छ. ऑन-लाइन आवेदन :

हमारी वेब-साइट में ऑन-लाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है। प्रत्याशी आवेदक ऑन-लाइन आवेदन फार्म भरकर सादे कागज पर प्रिन्ट आउट ले सकते हैं, उस पर फोटो चिपकाकर हस्ताक्षर करें और साथ में संबंधित दस्तावेज संलग्न कर अप्रतिदेय आवेदन शुल्क तथा आईडीपी, यदि लागू हो, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से आहरित अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर सहित आवेदन, विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार संबंधित कार्यालय को भेज दें।

ऑन-लाइन आवेदन भेजनेवाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि वही होगी जो विज्ञापन में उल्लिखित है। इसके अलावा, ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी और संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। कट-ऑफ समय एवं तिथि के तुरंत बाद से ऑन-लाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन के मामले में, किसी भी तकनीकी कारण से नियत तिथि एवं समय पर ऑन लाइन आवेदन न करने पर कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा तथा बाद में दिये गए निवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

यदि ऑन-लाइन आवेदक, कट-ऑफ तिथि एवं समय के अंदर कॉर्पोरेशन के नामित कार्यालय में ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे आवेदकों को अयोग्य माना जायेगा।

ज. आवेदक विभिन्न लोकेशनों के लिए आवेदन करनेवाले व्यक्ति

आवेदक विभिन्न लोकेशनों के लिए आवेदन कर सकता है, किंतु प्रत्येक लोकेशन के लिए लागू आवेदन शुल्क तथा आईडीपी (यदि लागू हो) सहित अलग अलग आवेदन प्रपत्र भरना होगा। ऐसे मामलों में, सभी शपथपत्र मूल रूप से प्रत्येक आवेदन के लिए अलग होंगे।

झ. आवेदन भरने एवं जमा करने की प्रक्रिया :

- i. आवेदन निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सादे कागज पर विशेषतः टाइप किया गया हो या साफ अक्षरों में लिखा हो- परिशिष्ट -XI-ए व्यक्तिगत आवेदकों के लिए परिशिष्ट XI-बी गैर - व्यक्तिगत आवेदकों के लिए।
- ii. आवेदक को आवेदनपत्र के साथ संलग्न शपथपत्र सहित सभी पृष्ठों पर नंबर लिखकर हस्ताक्षर करना होगा। आवेदन के साथ सभी शपथपत्र मूल रूप से संलग्न करने होंगे।
- iii. केवल आवेदन के साथ मांगे गये दस्तावेज ही प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
- iv. प्रत्येक आवेदक, एक लोकेशन के लिए केवल एक ही आवेदन कर सकता है।
- v. भरा हुआ आवेदन मोहरबंद लिफाफे में डालकर उसपर उक्त लोकेशन का नाम एवं क्र.सं. (विज्ञापन के अनुसार) लिखना जरूरी है।

_____ (तेल कंपनी का नाम) के _____ (लोकेशन)

_____ (जिला) में सामान्य रिटेल आउटलेट /ग्रामीण रिटेल आउटलेटडीलरशिप हेतु आवेदन।

- vi. बिडिंग प्रक्रियावाले लोकेशनों के मामले में एक अलग मोहरबंद लिफाफे में संलग्नकों (आईडीपी सहित) के साथ आवेदनपत्र भेजा जाए तथा दूसरे अलग मोहरबंद लिफाफे में फाइनांशियल बोली (Bid) (परिशिष्ट XIसी) के अनुसार भरे गये) भेजा जाए। इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से "संलग्नकों सहित आवेदनपत्र" तथा "फाइनांशियल बोली (Bid)" लिखा जाना चाहिए तथा दोनों लिफाफे एक दूसरे मोहरबंद लिफाफे में लोकेशन का नाम एवं क्र.सं. (विज्ञापन के अनुसार) लिखकर जमा करें।

- vii. बिना फाइनांशियल बोली (Bid), फाइनांशियल बोली (Bid)खुली अवस्था में होने पर या लिफाफे पर फाइनांशियल बोली (Bid) न लिखा होने पर ऐसे आवेदनों को अस्वीकृत किया जाएगा और तदनुसार उम्मीदवारों को सूचित किया जायेगा।
- viii. फोटो चिपकाना और आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर छोड़कर आवेदनपत्र में कोई परिवर्तन/जोड़ने /हटाने की अनुमति नहीं होगी। केवल सुधार किये गये या अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार किये जायेंगे बशर्ते कि वे आवेदनपत्र में दी गई जानकारी से संबंधित हों।
- ix. आवेदक विभिन्न लोकेशनों के लिए आवेदन कर सकता है, किंतु प्रत्येक लोकेशन के लिए लागू आवेदन शुल्क तथा आईडीपी (यदि लागू हो) सहित अलग आवेदन प्रपत्र भरना होगा। सभी आवेदन अनुलग्नकों के साथ पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। एक आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज दूसरे आवेदन के लिए मान्य नहीं होंगे।

ट. भूमि स्वामित्व के संदर्भ में आवेदकों को प्राथमिकता

खंड 4(vi) में उल्लिखित विवरण के अनुसार ग्रुप 1 के अंतर्गत आनेवाले आवेदकों के लिए पहले चयन प्रक्रिया की जायेगी। ग्रुप 2 के अंतर्गत आनेवाले आवेदकों पर विचार केवल तब किया जायेगा जब ग्रुप 1 में कोई आवेदक न हो या कोई उम्मीदवार योग्य न पाया हो, या ग्रुप 1 में से किसी का भी चयन न हो पाया हो।

ठ. भूमि मूल्यांकन समिति (एलईसी-LEC) :

ग्रुप 1 के अंतर्गत आनेवाले सभी योग्य उम्मीदवारों को उनके द्वारा प्रस्तावित भूमि के मूल्यांकन हेतु भूमि मूल्यांकन समिति की विजिट के बारे में सूचित किया जायेगा।

आवेदन में दी गई भूमि का मूल्यांकन, भूमि विज्ञापित क्षेत्र में है अथवा नहीं तथा रिटेल आउटलेट के विकास हेतु मानदंडों के अनुसार है अथवा नहीं के आधार पर किया जाएगा। भूमि मूल्यांकन समिति द्वारा उपयुक्तता हेतु जिन प्राचलों के अंतर्गत भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा वे निम्नलिखित हैं :-

- विज्ञापित क्षेत्र में भूमि
- आवश्यकतानुसार भूमि आयाम
- एनएचएआई (NHAI) मानदंडों के अनुरूप भूमि (एनएच पर साइट हेतु)
- भूमि पर एचटी (HT) लाइन (>11 केवीए) नहीं हो।

उक्त में से एक भी प्राचल पूरा न करने पर उस भूमि पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उसे अस्वीकृत किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, किसी एक रिटेल आउटलेट लोकेशन के लिए एक से अधिक आवेदकों ने एक ही भूमि का प्रस्ताव दिया हो तो वे सभी आवेदन निरस्त होंगे। ग्रुप 1 से उचित उम्मीदवार न मिलनेपर, ग्रुप 2 में से योग्य उम्मीदवार हेतु भूमि मूल्यांकन किया जायेगा।

ड. ड्राँ द्वारा चयन (कॉर्पस फंड योजना के अंतर्गत कॉर्पोरेशन के स्वामित्व में आउटलेट, डीलर के स्वामित्व में डीलर द्वारा परिचालित आउटलेट तथा कंपनी लीज आउटलेट)

- (i) ग्रुप 1 के अंतर्गत भूमिवाले पात्र आवेदकों में से पहले ड्राँ निकाला जायेगा। ग्रुप 1 में कोई आवेदक न होने पर या ग्रुप 1 के आवेदक पात्र न होने पर/उपयुक्त न पाये जाने पर या नाम वापस लेने पर ही ग्रुप -2 के पात्र उम्मीदवारों में ड्राँ निकाला जायेगा।
- (ii) योग्य पाये गए उम्मीदवारों को विशिष्ट स्थान, तिथि एवं समय पर चयन हेतु ड्राँ के लिए उपस्थित होने की सूचना दी जायेगी।
- (iii) ड्राँ का परिणाम उस स्थल के सूचनाफलक तथा कॉर्पोरेशन के संबंधित कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा। इसे कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

- (iv) केवल एक ही पात्र उम्मीदवार होने के मामले में ड्रॉ नहीं निकाला जायेगा और एकमात्र उम्मीदवार को चयनित घोषित किया जायेगा।

ढ. बिडिंग प्रक्रिया द्वारा चयन (कॉर्पोरेशन के स्वामित्व में डीलर द्वारा परिचालित आउटलेट्स)

- (i) ग्रुप 1 के अंतर्गत आनेवाले योग्य आवेदकों में पहले बिड की ओपनिंग होगी। ग्रुप 1 में आवेदक न होनेपर या ग्रुप 1 के आवेदक पात्र न होनेपर/उपयुक्त न पाये जानेपर या नाम वापस लेने पर ही ग्रुप-2 के पात्र आवेदकों में बिड की ओपनिंग होगी।
- (ii) योग्य पाये गए उम्मीदवारों को विशिष्ट स्थान, तिथि एवं समय पर बिड की ओपनिंग में साक्षी स्वरूप उपस्थित होने की सूचना दी जायेगी।
- (iii) सभी आवेदकों/एकमात्र आवेदक की बिडिंग राशि, यदि न्यूनतम बिड राशि से कम पायी गई तो उस संबंधित लोकेशन के लिए घोषित किया जायेगा कि " कोई उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया" क्योंकि किसी भी आवेदक/एकमात्र आवेदक ने न्यूनतम बिड राशि उद्धृत नहीं की है।
- (iv) यदि आवेदकों द्वारा उद्धृत उच्चतम बिड राशि समान हुई तो लोकेशन की बिडिंग प्रक्रिया के बाद तुरंत इन आवेदकों में से चयन करने हेतु ड्रॉ निकाला जायेगा।
- (v) यदि उच्चतम बिडर द्वारा किसी कारणवश अपना नाम वापस लिया जाता है तो उसका चयन रद्द माना जायेगा और आईडीपी की राशि जब्त होगी। ऐसी स्थिति में अगले उच्चतम बिडर को डीलरशिप का प्रस्ताव दिया जायेगा।
- (vi) ड्रॉ का परिणाम उस स्थल के सूचनाफलक तथा कॉर्पोरेशन के संबंधित कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा। इसे कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

15. प्रत्ययपत्र के फील्ड सत्यापन (एफवीसी-FVC) की प्रक्रिया

आवेदन फार्म में दिये गये विवरण के संबंध में चयनित उम्मीदवार के लिए फील्ड सत्यापन किया जायेगा। एफवीसी का उद्देश्य है आवेदन में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करना। उम्मीदवार को आवेदन के साथ सत्यापन हेतु संलग्न कापियों के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

16. आशय पत्र (एल ओ आई)

यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही पायी गई और चयन से संबंधित कोई शिकायत या न्यायालयीन मामला लंबित न होने पर चयनित उम्मीदवार को आशयपत्र जारी किया जायेगा।

चयनित डीलर को, आशयपत्र प्राप्त होने के बाद, शपथपत्र के खंड 12 (च) (परिशिष्ट x ए/xबी) के अनुसार प्रस्तावित भूमि विकसित कर उपलब्ध करानी होगी और एलओआई में उल्लिखित अपेक्षित शर्तें पूर्ण करनी होगी। ग्रुप 1 कैटेगरी के अंतर्गत चयनित डीलर को भूमि उपलब्ध करने के लिए 2 माह दिये जायेंगे और ग्रुप 2 कैटेगरी को 4 माह दिये जायेंगे। ऐसा न करने पर, कॉर्पोरेशन एलओआई वापस ले सकता है और चयन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

एफवीसी के बाद एलओआई जारी किया जायेगा किंतु ड्रॉ/बिडिंग प्रक्रिया के परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के पहले जारी नहीं होगा।

चयनित उम्मीदवार को एलओआई जारी करने के दौरान फिर एक बार परिशिष्ट x ए या x बी (यथा लागू) के अनुसार शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

एलओआई वापस लेना

यदि चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय के अंदर भूमि प्रदान करने/सुविधाओं का विकास करने में असमर्थ है या एलओआई की शर्तें पूर्ण नहीं करता है, तो एलओआई वापस लिया जा सकता है। एलओआई धारक को

कारण बताओ नोटिस दी जाएगी तथा उनके उत्तर के आधार पर, संबन्धित तेल विपणन कंपनी (OMC) की आंतरिक नीति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा एलओआई वापस लेने का निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में, जहाँ बिडिंग प्रक्रिया द्वारा चयन किया गया है, आईडीपी की राशि जब्त की जाएगी।

यदि चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय के अंदर कुल बिडिंग राशि जमा करने में असमर्थ है या वह किसी कारणवश अपना नाम वापस लेता है तो आईडीपी की राशि, जहाँ लागू हो, भी जब्त होगी, उसका चयन निरस्त माना जायेगा तथा एलओआई वापस लिया जायेगा।

17. शिकायत /व्यथा निवारण प्रणाली:

किसी भी शिकायत के साथ, तेल कंपनी के पक्ष में, शेड्यूल बैंक का रु.1000/- का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए। इस शुल्क के बिना प्राप्त शिकायत का विचार नहीं किया जायेगा। चयन संबंधी शिकायत जिसमें योग्यता पर शिकायत उठाई गई हो, का निपटारा निम्नानुसार किया जायेगा :-

- (i) ड्रॉ निकालने/बिडिंग प्रक्रिया से पूर्व या बाद में रु.1000/- शुल्क सहित प्राप्त शिकायतें रिकार्ड में रखी जायेगी और केवल निम्नलिखित मामलों में ड्रॉ निकालने/बिडिंग प्रक्रिया के 30 दिन बाद जाँच की जायेगी :-
 - सत्यापनीय तथ्यों के साथ सामान्य शिकायतें
 - चयनित उम्मीदवार के खिलाफ शिकायतें
- (ii) ड्रॉ निकालने/बिडिंग प्रक्रिया की तिथि से 30 दिनों के बाद प्राप्त किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (iii) सत्यापनीय तथ्यों के बिना नाम रहित शिकायतों की जाँच नहीं की जायेगी।
- (iv) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता को प्रथम दृष्टया सिद्ध करने हेतु, संबद्ध दस्तावेजों यदि कोई हैं सहित आरोप का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा। दस्तावेजों एवं विवरणों की माँग करते हुए, शिकायतकर्ता को सूचित किया जायेगा कि यदि जाँच के दौरान शिकायत गलत और/ या बिना सबूत पायी गई तो कॉर्पोरेशन को कानून के तहत शिकायतकर्ता पर कार्रवाई करने का और शुल्क जब्त करने का अधिकार है।
- (v) यदि ऐसे आवेदक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई जिसका ड्रॉ/ बिडिंग प्रक्रिया के दौरान चयन नहीं हुआ है तो ऐसी शिकायत को आस्थगित रखा जायेगा। यदि चयनित उम्मीदवार का एलओआई निरस्त हो गया हो और जिस आवेदक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई हो उसका चयन, अगले ड्रॉ या बिडिंग प्रक्रिया में हुआ तो ही शिकायत की जाँच की जायेगी।
- (vi) यदि शिकायत की जाँच करना आवश्यक नहीं है तो शिकायतकर्ता को, प्राप्त शुल्क लौटाया जायेगा और सूचित किया जायेगा कि शिकायत पर जाँच नहीं हुई है क्योंकि जिस उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत हुई है उसका चयन नहीं हुआ है। चयनित उम्मीदवार को एलओआई जारी करने के बाद शुल्क लौटाया जायेगा।
- (vii) कॉर्पोरेशन द्वारा शिकायतकर्ता के प्रतिसाद की छानबीन की जायेगी और यदि शिकायत और आरोप सही नहीं पाये गये तो शिकायत को फाइल कर शुल्क जब्त किया जायेगा।

यदि शिकायत की जाँच करने का निर्णय लिया गया तो शिकायत पर निम्नानुसार निर्णय लेकर शिकायत पर निम्नानुसार निर्णय लेकर शिकायतकर्ता को सूचित किया जायेगा :-

क. शिकायत सिद्ध न होने पर:

यदि शिकायत सिद्ध न हुई हो तो उसे फाइल किया जायेगा और शिकायत शुल्क जब्त किया जायेगा।

ख. शिकायत सिद्ध होने पर:

यदि शिकायत सिद्ध हुई हो तो उचित कार्रवाई की जायेगी और शिकायत हेतु प्राप्त शुल्क लौटाया जायेगा।

18. डीलरशिप की स्थापना:

जिस उम्मीदवार को 'आशयपत्र' (एलओआई) दिया गया है उसे उसमें दी गई शर्तों को पूर्ण करना होगा। ताकि निर्धारित समयावधि में डीलरशिप की स्थापना की जा सके। यदि निर्धारित समय का पालन न हो पाया और इसके न्यायोचित कारण न हो तो एलओआई वापस लिया जा सकता है।

स्थापना से पूर्व, निष्पादित डीलरशिप करार के साथ नियुक्ति पत्र (एल ओ ए) दिया जायेगा।

एलओआई जारी करने के समय परिशिष्ट x ए या x बी (यथालागू) के अनुसार, आवेदक को फिर से शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

19. जमानत राशि/निर्धारित शुल्क/ बोली (Bid) राशि:

चयनित उम्मीदवार को निम्नानुसार राशि जमा करनी होगी :-

- ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए ब्याजमुक्त वापसी योग्य जमानत जमाराशि रु. 50000/- तथा अन्य रिटेल आउटलेट के लिए रु. 5 लाख - सभी कैटेगरी के रिटेल आउटलेटके लिए एल ओ ए जारी करने से पूर्व ली जाएगी।
- अप्रतिदेय निर्धारित शुल्क - "बी" साइट/ डीसी साइट/ कंपनी लीज रिटेल आउटलेटके लिए एनओसी की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर।
- अप्रतिदेय बिड राशि/आईडीपी राशि के समायोजन के बाद-"ए"/"सीसी" साइट रिटेल आउटलेट के लिए - एनओसी की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर।

निर्धारित शुल्क/बिडिंग राशि जमा होने के बाद ही, तेल विपणन कंपनियां अपनी सुविधाएं स्थापित करेंगी।

तेल विपणन कंपनियों, इस राशि में से, त्यागपत्र/समापन के समय, उन्हें देय राशि को समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। दुराचार सिद्ध होने के कारण डीलरशिप बंद होने की स्थिति में सुरक्षा जमाराशि जब्त होगी।

20. डीलरशिप का कार्यकाल:

डीलरशिप का आरंभिक कार्यकाल (स्मबन्धित तेल कंपनी की नीतिनुसार) ___ वर्ष का होगा होगा और उसके बाद (संबन्धित तेल विपणन कंपनी द्वारा) यथानिर्णित हर ___ वर्षों के बाद नवीकरण किया जायेगा (संबन्धित तेल कंपनी द्वारा दिये गए विज्ञापन के अनुसार)।

21. गलत जानकारी

उम्मीदवार द्वारा आवेदन में या उसके साथ या आवेदन के अनुसरण में बाद में संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी, यदि किसी भी चरण में छिपायी/तोड़-मरोड़कर/असत्य या गलत पायी गई, तो कोई भी कारण दिये बिना आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है और यदि आवेदक को डीलर के रूप में नियुक्त किया गया हो तो डीलरशिप को समाप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार/डीलर संबंधित तेल कंपनी के खिलाफ, जो भी हो, कोई दावा नहीं करेगा।

22. समाचारपत्र में प्रकाशित विज्ञापन एवं सामान्य शर्तों की विस्तृत जानकारी:

1. कॉर्पोरेशन जिन लोकेशनों में डीलर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखता है, उन लोकेशनों का निम्नलिखित विवरण विज्ञापन में दिया जायेगा।

क्र म सं ख्या	लोकेशन का नाम	राजस्व जिला	रिटेल आउटलेट का प्रकार	अनुमा नित मासिक बिक्री #	कैटेगरी	साइट का प्रकार *	साइट के न्यूनतम आयाम (मीटर में)*		आवेदक द्वारा वित्त प्रबंध		चयन की प्रणाली	निर्धारित शुल्क / न्यूनतम बिड राशि	जमानत राशि
							अग्रस्थ ल (frontage)	गहराई (depth)	9a	9b			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	
			सामान्य / ग्रामीण	एमएस +एचए सडी किलो में	एससी एससी सीसी-1 एससी सीसी -2 एसटी एसटी सीसी-1 एसटी सीसी-2 ओबीसी ओबीसी सीसी-1 ओबीसी सीसी-2 ओपन ओपन सीसी -1 ओपन सीसी-2	सीसी / सीएफ एस / डीसी/ सीएल			योग्यता हेतु	रिटेल आउटलेट के लिए अवसंरचना विकास हेतु आवश्यक अनुमानित निधि	ड्रॉ निकालना / बिडिंग		

दर्शाए गयी मात्रा/ बाज़ार स्थितियों पर आधारित है और इसमें परिवर्तन हो सकता है। आवेदक स्वयं अपनी उत्पाद बिक्री संभावनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं।

* साइट या तो आवेदक के स्वामित्व में हो या लीजपर न्यूनतम ___ वर्षों (संबन्धित तेल कंपनी द्वारा विज्ञापित किया जाएगा) के लिए हो अथवा आवेदक द्वारा इसका ठोस प्रस्ताव हो।

सारणी में कॉलमों का स्पष्टीकरण नीचे दिया है :-

कॉलम 4

सामान्य रिटेल आउटलेट: हाइवे (राष्ट्रीय राजमार्ग-NH/राजमार्ग-SH) और शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों में लोकेशन

ग्रामीण रिटेल आउटलेट: ग्रामीण क्षेत्रों के लोकेशनों में किंतु हाइवे (राष्ट्रीय राजमार्ग-NH/राजमार्ग-SH) पर नहीं।

कॉलम 6

एससी	अनुसूचित जाति कैटेगरी
एससी सीसी -1	संयुक्त कैटेगरी 1 में, रक्षा कार्मिक / अर्ध सैनिक कार्मिक / केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी कर्मचारी / केंद्रीय एवं

	राज्य सरकारी पीएसयू कर्मचारी जो अजा कैटेगरी के है, शामिल है।
एससी सीसी -2	संयुक्त कैटेगरी 2 में, विकलांग व्यक्ति (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) तथा स्वतंत्रता सैनिक जो अजा कैटेगरी के है, शामिल है।
एसटी	अनुसूचित जनजाति कैटेगरी
एसटी सीसी -1	संयुक्त कैटेगरी 1 में, रक्षा सैनिक/ अर्ध सैनिक कार्मिक/केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कर्मचारी/ केंद्रीय एवं राज्य सरकारी पीएसयू कर्मचारी जो अजा कैटेगरी के है, शामिल है।
एसटी सीसी -2	संयुक्त कैटेगरी -2 में विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी /ओएसपी/और स्वतंत्रता सैनिक जो अजा कैटेगरी के है, शामिल है।
ओबीसी	अन्य पिछड़े वर्ग
ओबीसी सीसी-1	संयुक्त कैटेगरी 1 में अन्य पिछड़े वर्ग के रक्षा कार्मिक/पैरा सैन्य कार्मिक / अर्ध सैनिक कार्मिक / केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारी /केंद्रीय एवं राज्य सरकार के पीएसयू कर्मचारी शामिल है।
ओबीसी सीसी-2	संयुक्त कैटेगरी 2 में अन्य पिछड़े वर्ग के शारीरिक विकलांग व्यक्ति (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) और स्वतंत्रता सेनानी शामिल है।
खुली	खुली कैटेगरी
खुली सीसी 1	संयुक्त कैटेगरी 1 में खुली श्रेणी के रक्षा कर्मचारी/ अर्ध सैनिक कर्मचारी/केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार पीएसयू कर्मचारी शामिल है।
खुली सीसी 2	संयुक्त कैटेगरी 2 में खुली श्रेणी के शारीरिक विकलांग व्यक्ति (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) और स्वतंत्रता सेनानी शामिल है।

कॉलम 7

सीसी/सीएफएस : कॉर्पोरेशन आवेदक से अपेक्षा करता है कि उसके पास रिटेल आउटलेट के लिए उपयुक्त भूमि हो / या वह उसकी व्यवस्था करें और कॉर्पोरेशन को बेचे या लम्बी पट्टा अवधि पर दे।

डीसी : कॉर्पोरेशन आवेदक से अपेक्षा करता है कि उसके पास रिटेल आउटलेट के लिए उपयुक्त भूमि हो/ या वह उसकी व्यवस्था करें। आवेदक द्वारा कॉर्पोरेशन को भूमि बेचना/पट्टे पर देना नहीं है। यहाँ यह अपेक्षित है कि आवेदक अपनी लागत पर डीलरशिप हेतु आवश्यक सभी अवसंरचना/स्थायी सुविधाएं प्रदान करेगा।

सीएल : कॉर्पोरेशन आवेदक से अपेक्षा करता है कि उसके पास रिटेल आउटलेट के लिए उपयुक्त भूमि हो/या वह उसकी व्यवस्था करें। यहाँ यह अपेक्षित है कि आवेदक अपनी लागत पर डीलरशिप हेतु आवश्यक सभी अवसंरचना/स्थायी सुविधाएं प्रदान करेगा और कॉर्पोरेशन को महासंरचना के साथ भूमि को पट्टे पर देगा।

कॉलम 10

प्रत्येक लोकेशन के सामने उल्लेखित ड्रा/ बोली (Bid) प्रक्रिया के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को डीलरशिप हेतु चुना जाएगा। बोली (Bid) प्रक्रिया द्वारा चयन के मामले में, आवेदन के साथ उच्चतम बोली (Bid) देने वाले योग्य आवेदक को डीलरशिप हेतु चुना जाएगा।

2. विज्ञापन से संबंधित सामान्य शर्तें

- i. आवेदन से पहले आवेदक "विवरणिका " ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- ii. अंतिम तिथि के 1700 बजे के पश्चात प्राप्त आवेदन, चाहे डाक विलम्ब के कारण हो, विचार नहीं किया जाएगा। इन मामलों में संबंधित तेल कम्पनी द्वारा पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- iii. विज्ञापन के अनुसार लोकेशन श्रेणी के दस्तावेज़/वचन पत्र प्रस्तुत किए जाएं ("खुली के अलावा "कैटेगरी" में व्यक्तिगत आवेदकों और पंजीकृत सोसायटियों के लिए)

कैटेगरी	पात्रता प्रमाणपत्र प्रोफार्मा	कैटेगरी	पात्रता प्रमाणपत्र प्रोफार्मा	कैटेगरी	पात्रता प्रमाणपत्र प्रोफार्मा
अजा/अजजा	परिशिष्ट VI	ओबीसी	परिशिष्ट - VII-ए व VII-बी	खुली सीसी 1	परिशिष्ट-VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र यथा लागू निर्मुक्ति आदेश अथवा पेंशन आदेश।
अजा/अजजा सीसी 1	परिशिष्ट VI, VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र या यथा लागू निर्मुक्ति आदेश अथवा पेंशन आदेश।	ओबीसी सीसी 1	परिशिष्ट VII-ए व VII-बी, VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र यथा लागू निर्मुक्ति आदेश अथवा पेंशन आदेश	खुली सीसी 2	परिशिष्ट - IX अथवा ओएसपी/एफएफ के लिए लागू प्रमाणपत्र
अजा/अजजा 2	परिशिष्ट - VI, IX अथवा ओएसपी/एफएफ के लिए लागू प्रमाणपत्र	ओबीसी सीसी 2	परिशिष्ट - VII-ए व VII-बी, IX अथवा ओएसपी/एफएफ के लिए लागू प्रमाणपत्र	"खुली" के अलावा "अन्य श्रेणी" के अंतर्गत आवेदन करनेवाली पंजीकृत सोसायटियां	सभी सदस्यों के नाम तथा वे कौनसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं यह दर्शाने वाला सोसायटी रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र.

- iv. पात्रता मापदण्ड पूरा करनेवाला कोई भी व्यक्ति " खुली" श्रेणी में आवेदन कर सकता है। " खुली" श्रेणी के लिए विज्ञापित लोकेशनों के अलावा अन्य श्रेणियों हेतु आवेदन के साथ पात्रता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किए जाएं। यदि रक्षा श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करनेवाला आवेदक, आवेदन के साथ डीजीआर प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो वह लॉट के ड्रॉ/ बोलियां खोलने के समय स्वयं यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। ड्रॉ शुरू होने/बोली (Bid) खुलने से पहले डीजीआर का पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। ड्रॉ शुरू होने/बोली (Bid) खुलने से पहले डीजीआर का पात्रता प्रमाणपत्र होने पर ही ड्रॉ/ बोली (Bid) खोलने हेतु उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा।
- v. आवेदकों को सूचित किया जाता है कि परिशिष्ट - XII ए/ XII बी में दी गई जांच सूची भरें और उसे आवेदन के ऊपर जोड़ें।
- vi. सम्पूर्ण आवेदन के लिए विवाहित आवेदक के मामले में "परिवार इकाई से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, पति/पत्नी और अविवाहित पुत्र/पुत्री (यां)। अविवाहित आवेदक के मामले में" परिवार इकाई से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, माता-पिता और अविवाहित भाई तथा अविवाहित बहन(नें)। तलाकशुदा के मामलों में, "परिवार इकाई" से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री (यां) जिनकी अभिरक्षा उनके पास है। विधवा/विधुर के मामले में "परिवार इकाई " से तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/ अविवाहित पुत्री (यां)।
- vii. सभी शपथ पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जाएं और उनकी तिथि विज्ञापन तिथि के बाद की हो। स्टाम्प पेपर संबंधित राज्य में लागू मूल्य का हो और अभिसाक्षी के नाम पर खरीदा जाए। शपथ पत्र की फोटो प्रतियां स्वीकारी नहीं जाएंगी। अन्य सभी दस्तावेजों की स्व- साक्ष्यांकित प्रतियां आवेदन के साथ प्रस्तुत की

- जाए और क्षेत्र सत्यापन के दौरान मूल प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। क्षेत्र सत्यापन के दौरान इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने पर चयन रद्द की जा सकती है।
- viii. आवेदक, आवेदन के विभिन्न मदों में वही जानकारी दें जिनके समर्थन में वे शपथ पत्र की तिथि पर मूल दस्तावेज दे सकें। सत्यापन के समय इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत न किए जाने पर चयन रद्द की जाएगी।
- ix. यह एक विशुद्ध कारोबारी प्रस्ताव है तथा कम्पनी में नौकरी का आवेदन नहीं है, इसमें व्यापार के सामान्य जोखिम हैं और यह निश्चित लाभ का वादा नहीं करता।
- x. चयन होने पर आवेदक आवश्यक निधियों की व्यवस्था करते हुए डीलरशिप को कॉर्पोरेशन की संतुष्टि के अनुरूप सुचारू ढंग से चलायेगा।
- xi. यह केवल आवेदन है और रिटेल आउटलेट डीलरशिप का प्रस्ताव नहीं।
- xii. डीलरशिप के लिए चुना गया आवेदन नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले कॉर्पोरेशन की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेशन के साथ डीलरशिप करार करेगा।
- xiii. कृपया ध्यान रहे कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत तेल कम्पनी द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं।
- xiv. चयन से संबंधित शिकायतें उस लोकेशन के परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर, रू.1000/- के शुल्क सहित दर्ज किए जाएं। तत्पश्चात प्राप्त किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
- xv. अंग्रेजी अखबार बनाम प्रादेशिक अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में विसंगति पाए जाने पर, अंग्रेजी अखबार में दी गई जानकारी/निर्देश मान्य होगी।
- xvi. कम्पनी को अधिकार है कि वो अपने एकमात्र विवेकाधिकार से बगैर कोई कारण बताए विज्ञापन रद्द/वापस/संशोधित कर सकती है या देय तिथि बढ़ा सकती है।

(ग्रामीण रिटेल आउटलेट का आवेदन करनेवाले व्यक्ति प्रस्तुत करें)

निवास प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/कु. _____ पुत्र/पुत्री
श्री _____ राज्य के _____ जिले में
_____ ब्लॉक के _____ ग्राम पंचायत में
_____ राजस्व गांव _____ के निवासी है।

(_____)

हस्ताक्षर

उप तहसीलदार/तहसीलदार

उप मामलतदार/मामलतदार

(कार्यालय मुहर)

अथवा

(_____)

उप आयुक्त */पुलिस आयुक्त (कार्यालय मुहर)

दिनांक

* यदि सक्षम प्राधिकारी पुलिस उप आयुक्त है।

टिप्पणी : शपथ- पत्र की तिथि के पिछले छह महीनों के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा में जारी निवास प्रमाणपत्र ही वैध निवास प्रमाणपत्र माना जाएगा।

पति/पत्नी को साझेदार बनाने हेतु आवेदक द्वारा दिया जानेवाला पत्र

स्थान:

दिनांक:

सेवा में ,

विषय: _____ श्रेणी में _____ को विज्ञापित
_____ राज्य, _____ जिला के :
_____ लोकेशन में रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु पति/पत्नी को सह-
भागीदार/साझेदार के तौर पर शामिल करने का पत्र

महोदय/महोदया,

यह आपकी पत्र सं. _____ दिनांक _____ के संदर्भ में है जिसमें आपने
_____ श्रेणी में _____ विज्ञापित _____ जिला _____ में मुझे
रिटेल आउटलेट डीलरशिप देने का आशय व्यक्त किया है और मेरा कथन निम्नानुसार है :

मैं विवाहित हूँ और मेरे पति/पत्नी का नाम _____ है। मुझे विदित है कि डीलर चयन की शर्तों के अनुसार, मेरे पति/पत्नी रिटेल आउटलेट डीलरशिप में सह - भागीदार अर्थात् 50% साझेदार होंगे। सिवाए उस स्थिति में जब मेरे पति/पत्नी लाभप्रद रोजगार कर रहे हों और/अथवा साझेदार नहीं बनना चाहते/ती हैं।

** मैं आबंटन पत्र जारी करने/करार पर हस्ताक्षर करने से पहले मेरे पति/पत्नी के साथ साझेदारी इत्यादि से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेजीकरण/औपचारिकताएं पूरी करूंगा/गी। मुझे यह भी ज्ञात है कि हम दोनों संयुक्त रूप से करार पर हस्ताक्षर करेंगे।

अथवा

** मेरे पति/पत्नी लाभप्रद रोजगार कर रहे/ही है और साझेदार नहीं बनना चाहते/ती। आबंटन पत्र जारी करने/करार पर हस्ताक्षर करने से पहले मैं परिशिष्ट II बी में इस आशय का शपथ पत्र दूंगा कि वे साझेदार नहीं बनना चाहते/ती।

** जो लागू नहीं उसे काट दें।

धन्यवाद,
भवदीय

पति/पत्नी का नोटरीकृत शपथ-पत्र यदि वे साझेदार बनना/नहीं बनना चाहते/ती

(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाईप करें)

(नियुक्ति पत्र स्वीकार करने/डीलरशिप करार पर हस्ताक्षर करने से पहले व्यक्तिगत आशय-पत्र धारक के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

_____श्रेणी में _____को विज्ञापित _____जिला
_____में इंडियन ऑयल* / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन* / हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन*
की रिटेल आउटलेट डीलरशिप के संदर्भ में।

मैं _____, _____पुत्र / _____पुत्री / _____पत्नी
_____आयु _____निवासी _____एतद्वारा घोषित
करता/ती हूँ :

1. कि मेरे पति / पत्नी श्री श्रीमती _____ने उक्त डीलरशिप हेतु
आवेदन किया है और _____(तेल विपणन कंपनियों (OMC) का नाम) ने मेरे पति/पत्नी के
पक्ष में दिनांक _____को पत्र सं. _____द्वारा आशय पत्र
जारी किया है।

2. कि मुझे ज्ञात है कि डीलर चयन के शर्तानुसार, मेरे पति/पत्नी श्री/श्रीमती _____को
आबंटित रिटेल आउटलेट डीलरशिप में मुझे सह-भागीदार अर्थात् 50% साझेदार के तौर पर शामिल किया
जाना है।

मैं अपने पति/पत्नी श्री/श्रीमती _____को आबंटित डीलरशिप में साझेदार/सह भागीदार
बनना चाहता/ती हूँ । मैं यह भी वचन देता/ती हूँ कि मैं नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले डीलरशिप
आबंटन संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज़ीकरण और वचन पत्र/शपथ पत्र पूरी करूंगा/गी।

कि वर्तमान में मैं निम्नानुसार लाभप्रद रोजगार कर रहा/ही हूँ :

अथवा

कि मैं निम्नलिखित नियोक्ता के यहाँ नौकरी करता/करती हूँ ।

(नियोक्ता तथा उनके पते संबंधी विवरण)

अतः मैं अपने पति/पत्नी श्री / श्रीमती _____को आबंटित डीलरशिप में
साझेदार नहीं बनना चाहता/ती हूँ।

अथवा

कि व्यक्तिगत कारणवश, मैं अपने पति/पत्नी _____को आबंटित डीलरशिप में साझेदार नहीं
बनना चाहता/ती हूँ :-

मेरे समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक मेरे समक्ष पुष्टि एवं घोषित की गई। आज _____माह के
_____कार्य

हस्ताक्षर व मुहर

मजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

हस्ताक्षर

अभिसाक्षी का नाम

निजी क्षेत्र में रोजगार/राज्य/केंद्रीय सरकार से वेतन/भत्ते/परिलब्धियाँ संबंधी आवेदक का नोटरीकृत शपथ पत्र

(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाईप करें)

(डीलरशिप हेतु नियुक्ति पत्र स्वीकार करने से पहले संबन्धित आशय पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

लोकेशन _____ में इंडियन ऑयल * / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन* / हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन * की रिटेल आउटलेट डीलरशिप के संदर्भ में।

1. कि _____ में, _____ पुत्र/पुत्री/ _____ पत्नी
_____ आयु _____ वर्ष, निवासी _____ एतद्वारा
घोषित करता/ती हूँ कि :

2. कि मैंने, _____, श्रेणी में ----- राज्य के -----
-----जिले में -----लोकेशन स्थित इंडियन
ऑयल* /भारत पेट्रोलियम*/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम* _____ के रिटेल आउटलेट
डीलरशिप हेतु आवेदन किया है और उक्त तेल कम्पनी ने दिनांक _____ का पत्र सं.के जरिये
उक्त रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आशय पत्र जारी किया है।

3. मैं घोषित करता/ती हूँ कि न तो मैं किसी निजी कम्पनी में काम करता/ती हूँ और न ही राज्य/केन्द्र
सरकार से कोई वेतन/भत्ते/परिलब्धियाँ पाता/ती हूँ।

अथवा

मैं नौकरी करता/ती था/थी और मैंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे की स्वीकृति का सबूत संलग्न है।

4. मैं यह भी पुष्टि करता/ती हूँ कि डीलरशिप अवधि के दौरान न तो मैं किसी निजी कम्पनी में
नौकरी/करुंगा/गी और न ही राज्य /केन्द्रीय सरकार से वेतन/भत्ते/ परिलब्धियाँ पाउंगा/गी।

मेरे समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक मेरे समक्ष पुष्टि एवं घोषित की गई। आज _____ माह के
_____ कार्य

सत्यनिष्ठा से मेरे समक्ष स्वीकार और घोषित

हस्ताक्षर व मुहर
मजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

हस्ताक्षर
अभिसाक्षी का नाम

परिवार इकाई के सदस्यों द्वारा वित्त प्रस्ताव का नोटरीकृत शपथ पत्र
(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाइप करें)

(वित्त के लिए, आवेदक को छोड़कर पात्रता मापदण्ड में परिभाषित किए गए अनुसार परिवार सदस्य द्वारा दिया जाए)

मैं, _____ पुत्र / पुत्री / पत्नी
_____ आयु _____ निवासी _____ एतद्वारा घोषित
करता/ती हूँ :

1. कि मैं अविवाहित हूँ और मेरे पिता*/माता*/अविवाहित भाई* / अविवाहित बहन*
(श्री/श्रीमती/कु) _____ (नाम) ने दिनांक
_____ के अखबार में प्रकाशित _____ श्रेणी के अंतर्गत
_____ (स्थान) में आईओसी*/ बीपीसी*/ एचपीसी* की रिटेल आउटलेट
डीलरशिप के लिये आवेदन किया है।

अथवा

कि मैं विवाहित हूँ और मेरे अविवाहित पुत्र* / अविवाहित पुत्री*/पत्नी*/पति*
(श्री/श्रीमती/कु) _____ ने दिनांक _____ के अखबार में प्रकाशित
_____ श्रेणी के अंतर्गत _____ (स्थान) में आईओसी*/बीपीसी*/एचपीसी* की
रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन किया है।

* जो लागू नहीं, उसे काटें ।

2. कि यदि रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु उनका चयन होता है तो मैं रु. _____ लाख
तक, जो मेरे नाम पर है, की वित्तीय सहायता दूंगा/गी, जैसा कि _____ में
आईओसी*/बीपीसी*/एचपीसी* रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए
श्री/श्रीमती/कु. _____ द्वारा प्रस्तुत आवेदन फार्म के खण्ड 10 में बताया गया है।
3. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु उक्त में दिये अनुसार वित्तीय
साधनों/लेखों/निधियों आदि का प्रस्ताव लोकेशन के लिए किसी उक्त विज्ञापन में उल्लिखित उसी भी
अन्य व्यक्ति को नहीं दिया है।

मैं एतद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि उक्त कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही और सटीक है, तथा कुछ छिपाया
नहीं गया है।

मेरे समक्ष पुष्टिकृत एवं घोषित दिनांक _____ माह _____

हस्ताक्षर व मुहर
मजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

हस्ताक्षर
अभिसाक्षी का नाम

परिवार सदस्य और/अथवा तृतीय पक्ष द्वारा भूमि दस्तावेजों सहित भूमि प्रस्ताव का नोटरीकृत शपथपत्र - भूमि के सभी मालिकों को यह शपथ पत्र अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा।

(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाईप करें)

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ आयु _____ वर्ष
निवासी _____ एतद्वारा निम्नानुसार पुष्टि एवं कथन करता/ती हूँ:-

परिवार सदस्यों हेतु खण्ड

("परिवार इकाई" जैसा कि, बहुविध डीलरशिप मानक में "अपात्रता" खंड के अंतर्गत परिभाषित है।)

1. कि मैं अविवाहित हूँ और मेरे पित* /माता* / अविवाहित भाई* / अविवाहित बहन* श्री/श्रीमती/कु _____ (नाम) ने दिनांक _____ के अखबार में प्रकाशित _____ श्रेणी के अंतर्गत _____ (स्थान) में आईओसी* /बीपीसी* /एचपीसी* की रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिये आवेदन किया है।

2. मैं श्री/श्रीमती/ _____, _____ राज्यके _____ जिला _____ तालुका/तहसील _____ (गांव/कस्बा) में _____ मी (अग्रभाग* / _____ मी

(गहराई) की _____ वर्ग मी/ क्षेत्रफल भूमि का टुकड़ा गट/सर्वे क्र. _____ का एकल/संयुक्त) मालिक/मालकिन हूँ, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

* जो लागू नहीं, उसे काटें ।

भूमि मालिक/पट्टाधारकों /के	आवेदक के साथ संबंध*	विक्रय विलेख/उपहार विलेख / पट्टा विलेख /पंजीकरण तिथि/परिवर्तन तिथि	खसरा क्र./गट क्र. /सर्वे क्र.	भूमि परिमाण		
				अग्रभाग मीटर में	न्यूनतम गहराई मीटर में	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1.						
2.						
3.						
4.						

3. कि श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम) ने दिनांक _____ के _____ अखबार में प्रकाशित _____ श्रेणी के अंतर्गत _____ (स्थान) में आईओसी* /बीपीसी* / एचपीसी * के रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु आवेदन किया है।

4. कि यदि रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम)_____ का चयन होता है, तो मैं सभी सह-भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित स्थल योजनानुसार उक्त लोकेशन में रिटेल आउटलेट सुविधाएं स्थापित करने के लिए तेल कम्पनी अथवा श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम)_____ को उक्त भूमि का टुकड़ा बेच/अंतरित/पट्टाकृत करूंगा/गी। पट्टा के मामले में मैं यह भी पुष्टि करता/ती हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम)_____ को पट्टे पर दिया गया भूमि का टुकड़ा वे तेल कम्पनी की शर्तों पर तेल कम्पनी को आगे पट्टे पर या उप पट्टे पर देते हैं।

कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि सभी सह- भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित स्थल योजनानुसार उक्त लोकेशन में उपरोक्त भूमि पर श्री/श्रीमती/ मेसर्स (एन्टिटी का नाम) _____ द्वारा रिटेल आउटलेट सुविधाएं स्थापित की जाती हैं।

5. मैं एतद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि मैंने उपरोक्त विज्ञापन में भूमि का टुकड़ा मैं दिए गए इस लोकेशन में भूमि का टुकड़ा रिटेल आउटलेट डीलरशिप किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तावित नहीं किया है।

6. मैं एतद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि उक्त कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही और सटीक है, तथा कुछ छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर व मुहर
मजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

हस्ताक्षर
अभिसाक्षी का नाम एवं आवेदक के
साथ रिश्ता

आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि की स्थिति की पुष्टि करने संबंधी अधिवक्ता का पत्र अर्थात
प्रस्तावित गुप 1 में है या गुप 2 में

(अधिवक्ता के लेटरहेड पर टाईप किया जाए और तेल विपणन कम्पनी को प्रस्तुत किया जाए)
(आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में

मण्डल प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक / क्षेत्रीय प्रबंधक
आईओसीएल / बीपीसीएल / एचपीसीएल

महोदय,

विषय : मेरे मुवक्किल द्वारा प्रस्तावित भूमि

1. _____ सूचित करता/करते हैं कि मैंने सर्वे क्र./गट क्र.
(भूमि का पता), खसरा/खतौनी
_____ ग्राम _____ से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया है, जो
श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम) _____ के द्वारा प्रस्तावित है और जिन्होंने
_____ स्थान _____ जिला में रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु आवेदन किया है।
ये भूमि विज्ञापित क्षेत्र/इलाके में पड़ती है।

2. मैंने विवरणिका में दिए गए खण्ड 4 आवेदकों का पात्रता मापदण्ड के अंतर्गत भूमि प्राचल से संबंधित
उप खण्ड (vi) का अवलोकन किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे कोई भूमि का टुकड़ा
स्वामित्व भूमि श्रेणी (गुप 1) अथवा ठोस प्रस्ताव श्रेणी (गुप 2) में आता है। मेरी राय में और
तेल विपणन कम्पनी (तेल कम्पनी का नाम)की आवश्यकतानुसार, मेरे ग्राहक द्वारा प्रस्तावित
भूमि का टुकड़ा निम्न श्रेणी में आता है :-

गुप1* : हाँ/नहीं

गुप 2* : हाँ/नहीं

*जो लागू नहीं, उसे काटें।

3. मैंने _____ स्थान _____ जिला में मेसर्स आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल के रिटेल
आउटलेट डीलरशिप हेतु श्री/श्रीमती/मेसर्स (एन्टिटी का नाम) द्वारा प्रस्तावित सर्वे क्र./ गट
क्र. _____ (भूमि का पता), खसरा/खतौनी _____ गांव में स्थित भूमि के पट्टा
करार का अवलोकन किया है और पुष्टि करता/ती हूँ कि पट्टा करार में, तेल कम्पनी की भूमि उप पट्टा
देने का प्रावधान है।

(उक्त खण्ड 3 केवल उन्हीं स्थानों के लिए लागू है जिनका विज्ञापन कॉर्पस निधि योजना(सीएफएस-
CFS स्थल), कॉर्पोरेशन के अन्य स्वामित्व स्थलों ("ए"/ "सीसी" स्थल) और कम्पनी पट्टा
स्थलों तथा जहाँ दीर्घ पट्टे पर प्रस्तावित भूमि ली गई है, के अंतर्गत किया गया है।

स्थान :

दिनांक :

अधिवक्ता का हस्ताक्षर :

अधिवक्ता का नाम व मुहर :

अजा/अजजा श्रेणी प्रमाणपत्र का मानक प्रोफार्मा
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले प्रमाणपत्र का फॉर्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु* _____ पुत्र/पुत्री*
 _____ गांव/कस्बा* _____ जिला/मण्डल* _____, _____ के
 राज्य/संघ/प्रदेश* _____, _____ जाति/जनजाति के है और उनका धर्म _____ है जिसे बॉम्बे
 पुनर्गठन अधिनियम 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
 (संशोधन) आदेश 1956* के अंतर्गत बतौर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त है।
 संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956*
 संविधान (अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1956*
 संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962*
 संविधान (पाँडिचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1964*
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*
 संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970*

स्थान : _____ हस्ताक्षर : _____
 दिनांक : _____ पदनाम : _____
 (कार्यालय का मुहर)

राज्य / संघ प्रदेश*

* जो शब्द लागू नहीं, वे काटें

टिप्पणी : " सामान्यतः निवास करते हैं" का तात्पर्य वही होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा - 20 में दिया गया है।

जाति / जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के सक्षम अधिकारी

- i. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलक्टर / उप आयुक्त / अतिरिक्त उप आयुक्त / उप कलक्टर, प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/शहर मजिस्ट्रेट *** उप मण्डल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त*** (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से कम न हो) / प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट
- ii. मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट
- iii. राजस्व अधिकारी जिनकी श्रेणी तहसीलदार से कम नहीं हो।
- iv. उस मण्डल के उप मण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/अथवा उनका परिवार सामान्यतः निवास करता/करते हैं ।
- v. प्रशासनिक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणी : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार अपने दावे के समर्थन में, उक्तानुसार मूल प्रमाणपत्र व उसकी प्रति प्रस्तुत करें, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम पदनामित सक्षम प्राधिकारी ने जारी किया है जो उस जिले में है जहां उम्मीदवार के माता-पिता (अथवा जीवित माता-पिता) सामान्यतः निवास करते हैं। यदि माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं, तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करनेवाला अधिकारी उस जिले का हो, जहां उम्मीदवार स्वयं की शिक्षा से भिन्न सामान्यतः निवास करता /ती है। प्रमाणपत्र की असलियत के बारे में यदि कोई संदेह हो तो उसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त द्वारा सत्यापित कराएं।

ओबीसी श्रेणी प्रमाणपत्र हेतु मानक प्रोफार्मा

टिप्पणी : अन्य पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार अपने दावे के समर्थन में, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा निम्न फॉर्म में जारी मूल प्रमाणपत्र तथा उसकी प्रति प्रस्तुत करें :

“अन्य पिछड़ा वर्ग” उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला फॉर्म यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु _____ पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती _____ गांव/कस्बा _____ जिला/मण्डल _____, _____ के राज्य/संघ प्रदेश _____, _____ समुदाय के है जिसे निम्न के अंतर्गत भारत सरकार (केन्द्रीय सरकार) / राज्य सरकार द्वारा बतौर पिछड़े वर्ग की मान्यता प्राप्त है :

क्रम संख्या	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प क्र./अधिसूचना क्र.	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना तिथि	संबंधित राज्य / संघ प्रदेश

श्री /श्रीमती/कु _____ और /अथवा उनका परिवार सामान्यतः : _____ गांव/कस्बा * _____ जिला/मण्डल, _____ के _____ राज्य /संघ प्रदेश में निवास करते है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का.जा.क्र. 36012/22/93-इएसटीटी (एससीटी) दिनांक 08.09.93 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/अनुभागों (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं है जिसे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का.जा. क्र. 36033/1/2013 इएसटीटी. (आरईएस) दिनांक 27.05.13 तथा अन्य इस संबंध में प्रख्यापित अन्य अनुवर्ती संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया है।

स्थान: _____

हस्ताक्षर:

दिनांक : _____

पदनाम:

(ऑफिस सील के साथ)

टिप्पणी :

क. सामान्यतः " शब्द" का तात्पर्य वही है जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

ख. अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं :

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उप आयुक्त / अतिरिक्त उप आयुक्त / उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप मण्डल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट की श्रेणी से कम न हो) .

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो " तहसीलदार" से कम श्रेणी का न हो और

(iv) उप मण्डल अधिकारी उस क्षेत्र का हो जहाँ उम्मीदवार और/अथवा उनका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

ग. आवेदन के साथ प्रस्तुत वचनपत्र की तिथि (परिशिष्ट - VII बी के अनुसार शपथ पत्र) उम्मीदवार की ओबीसी स्थिति निर्धारण तिथि मानी जाएगी और यह भी निर्धारित करने की तिथि कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर में नहीं आता। उम्मीदवार उपर्युक्त निर्धारित प्रोफार्मा में अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संबद्ध ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें जिसमें उल्लिखित संबद्ध ब्यौरे दिए गए हैं।

नोटरीकृत शपथपत्र के तौर पर घोषणापत्र/वचनपत्र - केवल ओबीसी उम्मीदवारों के लिए

(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाईप करें)

मैं, _____ पुत्र / पुत्री श्री _____
निवासी _____ गांव/कस्बा/शहर _____ जिला _____
के _____ शहर / संघ/राज्य एतद्वारा घोषित करता/ती हूँ कि मैं
_____ समुदाय का/की हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण कार्यालय जमन क्र. 36012/22/93-
इएसटीटी. (एससीटी), दिनांक 8/9/1993में शामिल आदेशानुसार भारत सरकार द्वारा सेवा में आरक्षण हेतु
पिछड़ा वर्ग माना गया है। मैं यह भी घोषित करता/ती हूँ कि मैं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
का.जा.क्र. _____ (एससीटी) दिनांक 08.09.93 की अनुसूची के कॉलम 3 में
उल्लेखित व्यक्तियों/अनुभागों (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं है, जिसे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग का.जा. क्र. _____ (आरइएस) दिनांक 27.05.13 तथा अन्य इस संबंध में
प्रख्यापित अन्य अनुवर्ती संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया है।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

स्थान: _____

दिनांक: _____

(साक्षी)

उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर न किए गए घोषणा-पत्र/वचन-पत्र अस्वीकृत किए जाएंगे।

गलत घोषणापत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक का आवेदन/उम्मीदवारी कभी भी अस्वीकृत की जा सकती है।

अर्धसैनिक/पुलिस/पीएसयु/सरकारी कर्मचारी श्रेणी (सीसी1) का मानक प्रोफार्मा

(कार्यालय प्रमुख अथवा सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपरी श्रेणी के अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी करनेवाले संगठन /सरकारी कार्यालय के कार्यालयीन लेटरहेड पर प्रमाणपत्र दिया जाए)

प्रमाणपत्र जारी करनेवाले सरकारी संगठन/विभाग/एजेंसी का नाम व पता:

संदर्भ क्र.

दिनांक

अर्धसैनिक/पुलिस/सरकारी कर्मचारी श्रेणी के लिए पात्रता प्रमाण पत्र

1. @ यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. _____ जो इस कार्यालय में _____ के पद पर कार्यरत थे/थी का----- (दिनांक) को निधन हो गया । श्री/श्रीमती/कु. _____ को ----- के दौरान महान त्याग करने के लिए ----- (साहस पुरस्कार का नाम) से सम्मानित किया गया है। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार श्री/श्रीमती/कु. (आवेदक का नाम) _____ (संबंध _____) श्री/श्रीमती/कु. _____ पर आश्रित थी।

अथवा

2. @यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. _____ जो इस कार्यालय में _____ के पद पर कार्यरत थे/थी का _____ (दिनांक) _____ (स्थान) में कार्रवाई के दौरान उनका निधन हो गया है। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार श्री/श्रीमती/कु. (आवेदक का नाम) _____ (संबंध _____) श्री/श्रीमती/कु. _____ पर आश्रित थी।

अथवा

3. @ यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. (आवेदक का नाम) _____ हमारे _____ कार्यालय में काम करते थे/थी और _____ (दिनांक) को _____ (स्थान) में कार्य के दौरान वे विकलांग हुए/हुई है।

अथवा

4. @ यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. _____ जो हमारे कार्यालय में _____ के पद पर कार्यरत थे/थी का _____ (दिनांक) को _____ (स्थान) में कार्य के दौरान निधन हो गया है । हमारे रिकॉर्ड के अनुसार श्री/श्रीमती/कु. (आवेदक का नाम) _____ (संबंध _____) श्री/श्रीमती/कु. _____ पर आश्रित थे / थी।

अथवा

5. @यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. _____ हमारे _____ संगठन में कार्यरत थे/थी और _____ (दिनांक) को _____ कारणों से शांति के दौरान विकलांग हुए/हई है।

@ जो लागू नहीं उसे काटो

आवेदक के साक्ष्यांकित हस्ताक्षर

स्थान : _____

हस्ताक्षर :

दिनांक : _____

नाम :

पदनाम :

कार्यालय मुहर :

पीएच श्रेणी प्रमाण पत्र का मानक प्रोफार्मा #

प्रमाण पत्र जारी करनेवाली संस्था/अस्पताल का नाम व पत्ता

प्रमाण पत्र का मानक प्रोफार्मा

प्रमाण पत्र क्र. _____

दिनांक _____

विकलांग व्यक्तियों का प्रमाण पत्र

विकलांगता
दिखानेवाली हाल
ही में ली गई
साक्ष्यांकित तस्वीर
यहां लगाएं.

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती/कु _____

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____

आयु _____ वर्ष पुरुष/ महिला/पंजीकरण क्र. _____ को _____ समस्या

है। वे शारीरिक विकलांग /दृष्टिहीन/मूक बधिर हैं

और _____ के संदर्भ में उनकी विकलांगता

(शारीरिक दुर्बलता/दृष्टि दुर्बलता/वाणी एवं श्रवण दुर्बलता) _____% (प्रतिशत) स्थायी है।

टिप्पणी :

1. यह अवस्था बिघडनेवाली/न बिघडनेवाली/सुधरने की संभावना/सुधरने की संभावना नहीं है। *
2. पुनः आकलन संस्तुत नहीं है । _____ महीनों/वर्षों के पश्चात संस्तुत है।*

इस श्रेणी में उम्मीदवार पात्र माने जाएंगे यदि वे ऊपरी अथवा निचले अंगों में न्यूनतम 40% स्थायी (आंशिक) विकलांग हो, अथवा दोनों ऊपरी व निचले अंग मिलाकर 50% स्थायी (आंशिक) विकलांग हो। इसके लिए अमेरिकन अकॅडेमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, यूएसए द्वारा लिखि गई तथा उनकी ओर से आर्टिफिशियल लिम्ब्स मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी टी रोड, कानपुर द्वारा प्रकाशित मॅन्युअल फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जन इन इवॅल्युएटिंग पर्मनॅट फिजिकली इम्पैरमेंट में दिये गये मानक लागू होंगे।

इस श्रेणी के अंतर्गत रिटेल आउटलेट डिलरशिप हेतु आवेदन करने के लिए न्यूनतम 40% विकलांग बधिर, मूक व दृष्टिहीन व्यक्ति (वाणी, श्रवण व दृष्टि दुर्बलता) पात्र होंगे । तथापि पूर्ण दृष्टिहीन व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करनेवाले उम्मीदवार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें जिसे विभिन्न विकलांगताओं के आकलन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर भारतीय राजपत्र असामान्य नई दिल्ली नं.154 दिनांक 13 जून, 2001 के अनुसार केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने जारी किया है।

*जो लागू नहीं, उसे काटें।

हस्ता/-

(डॉक्टर)

मुहर

हस्ता/-

(डॉक्टर)

मुहर

हस्ता/-

(डॉक्टर)

मुहर

मरीज का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मेडिकल सुपरिन्डेन्ट/सीएमओ / अस्पताल प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (मुहरसहित)

नोटरीकृत शपथ-पत्र
(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर वन्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाईप करें)
(प्रत्येक आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएं)

मैं, _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
आयु _____ वर्ष _____ में निवास करता/ती हूँ।
_____ (स्थान) _____ (जिला) _____ (राज्य) में रिटेल
आउटलेट डीलरशिप हेतु मेरे आवेदन के संबंध में मैं निम्नानुसार सत्यनिष्ठा से पुष्टि एवं कथन करता/ती हूँ :

1	कि मैं भारतीय नागरिक एवं भारत का निवासी हूँ (आयकर नियमों के अनुसार)#																				
2	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>d</td><td>d</td><td>/</td><td>m</td><td>m</td><td>/</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> (आज की तारीख को आयु शब्दों में _____)	d	d	/	m	m	/	y	y	y	y										
d	d	/	m	m	/	y	y	y	y												
3	* कि मैंने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से _____ वर्ष में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है <table border="1" style="float: right; text-align: center;"> <tr><td>y</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td></tr> </table> और / अथवा * कि मैंने बोर्ड / संस्था द्वारा ली गई 10+2 परीक्षा _____ वर्ष में उत्तीर्ण की। <table border="1" style="float: right; text-align: center;"> <tr><td>y</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td></tr> </table> और / अथवा * कि मैंने बोर्ड द्वारा ली गई मैट्रिकुलेशन परीक्षा _____ वर्ष में उत्तीर्ण की <table border="1" style="float: right; text-align: center;"> <tr><td>y</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td></tr> </table>	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y								
y	y	y	y																		
y	y	y	y																		
y	y	y	y																		
4	* कि मैं अविवाहित हूँ और न तो मैं, और न मेरे पिता, माता, अविवाहित भाई(यों) अविवाहित बहन(नों) के पास डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप है या किसी तेल कंपनी के रिटेल आउटलेट या एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप का आशय पत्र है। अथवा * कि मैं विवाहित हूँ और मेरे पति/पत्नी का नाम _____ है। न मेरे और ना तो मेरे पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र (ओं) पुत्री (यों) के पास डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप है या किसी तेल कंपनी के रिटेल आउटलेट या एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप का आशय पत्र है। अथवा * कि मैं विधवा/विधुर हूँ और न तो मैं न मेरे अविवाहित पुत्र (ओं) पुत्री (यों) के पास डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप है या किसी तेल कंपनी के रिटेल आउटलेट या एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप का आशय पत्र है। अथवा * कि मैं तलाकशुदा हूँ। न मेरे और न तो मेरे अविवाहित पुत्र/पुत्री (जिनकी अभिरक्षा मुझे दी गई है) के पास डीलरशिप/ डिस्ट्रिब्यूटरशिप है या किसी तेल कंपनी के रिटेल आउटलेट या एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप का आशय पत्र है।																				

5	कि मैं एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (विवरणिका के "अपात्रता" खण्ड में परिभाषित बहुविध डीलरशिप मानकों के अनुसार) तेल विपणन कंपनी का कर्मचारी नहीं है।
6	कि मैं विवाहित हूँ और विवाह पूर्व मेरा नाम _____ था और श्री _____ से विवाहोपरान्त मेरा नाम श्रीमती _____ हुआ।
7	कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ और मैं पूर्णतः लकवाग्रस्त नहीं हूँ।
8	कि मुझे कभी भी नैतिक अधमता और/ अथवा आर्थिक गुनाहों के लिए सज़ा नहीं हुई है (स्वतन्त्रता सेनानी के अलावा)।
9	मैं पुष्टि करता/ती हूँ कि तेल विपणन कंपनियों (OMC) से सूचना प्राप्त होने के 4 महीनों के भीतर मैं संबंधित तेल विपणन कंपनियों (OMC) से ex-MI के आधार पर उत्पादों की डिलिवरी लेने की व्यवस्था करूंगा/गी।
10	कि मैं एतदद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि मैं किसी भी तेल कंपनी के ऐसे किसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार का हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूँ जिसे साबित कदाचार और/अथवा विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों (MDG) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर बंद किया गया था।
11	<p>क) कि आवेदन फार्म में वित्त से संबंधित खण्ड क्रमांक 10 में सविस्तार निधियों तथा आवेदन फार्म से संलग्न वित्त प्रावधान हेतु परिवार सदस्यों के शपथ पत्र (यदि लागू हो) मेरे पास अभी उपलब्ध है। मैं यह भी समझता हूँ कि पात्रता हेतु आवेदन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि के दिन मेरे पास विज्ञापनानुसार न्यूनतम निधि उपलब्ध होनी चाहिए। क्षेत्र सत्यापन के समय दावे के समर्थन में संबंधित मूल दस्तावेजों को कंपनी को उपलब्ध कराये जायेंगे।</p> <p>ख) हमें ज्ञात है कि यदि कभी भी हमारा उक्त दावा भिन्न पाया गया, तो हमारा आवेदन/उम्मीदवारी आगे की कार्रवाई हेतु तेल कम्पनी द्वारा अमान्य किया जाएगा।</p> <p>ग) इसके अलावा, यदि मुझे रिटेल आउटलेटडीलरशिप हेतु चुना जाता है तो मैं वचन देता/ती हूँ कि मैं लोकेशन हेतु विज्ञापन में उल्लिखित वांछित अवसंरचना एवं सुविधाओं के विकास हेतु आवश्यक निधियों की व्यवस्था करूंगा/गी।</p> <p>घ) मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि तेल कम्पनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा आवश्यकता पड़ने पर आवेदन फार्म के खण्ड 10 और उपर्युक्त अनुच्छेद "ग" के अनुसार निधियों की व्यवस्था नहीं कर पाया/पाई, तो आबंटन वापस ले लिया जाएगा और मैं तेल कम्पनी से किसी प्रकार का दावा/क्षति नहीं मांग सकता/ती।</p> <p>च) मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि यदि किसी भी चरण में मेरे द्वारा वित्त प्रबंधन हेतु प्रस्तावित वित्तीय, साधनों/लेखों/निधियों आदि का किसी अन्य आवेदक ने भी उसी विज्ञापन के उस लोकेशन हेतु प्रस्ताव दिया हो तो आरओ डीलरशिप हेतु मेरी उम्मीदवारी अस्वीकृत होगी और यदि मेरा चयन हुआ हो तो वह रद्द होगा।</p>

12	<p>कि आवेदक के साथ भूमि से संबंधित संलग्न आवेदन फॉर्म के खण्ड क्र. 9 में दिया गया ब्योरा, सह मालिक(कों) के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र (यदि लागू हों) और अधिवक्ता का पुष्टिकरण पत्र :</p> <p>क) सही है और दावे के समर्थन में भूमि दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न है।</p> <p>ख) कि यदि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए हमारा चयन होता है तो हम वचन देते हैं कि आवेदन फार्म में उल्लिखित अनुसार _____स्थान_____ जिला _____राज्य में जिसके लिए मैंने आवेदन किया है रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए उक्त भूमि उपलब्ध कराएंगे ।</p> <p>ग) मुझे ज्ञात है कि यदि मेरे उक्त दावे के समर्थन में वांछित दस्तावेज नहीं होते या किसी भी समय भिन्न पाए जाते हैं तो मेरा आवेदन/उम्मीदवारी अवैध मानी जाएगी और तेल कंपनी द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>घ) मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि मैं आशय पत्र में दी गई अवधि के भीतर तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम)की आवश्यकतानुसार रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए आवश्यक उक्त भूमि उपलब्ध नहीं करा पाया/पाई तो आबंटन वापस ली जा सकती है और मैं तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) से कोई दावा क्षति नहीं मांग सकता/ती हूँ।</p> <p>च) हमें यह भी ज्ञात है कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए चुने जाने पर मैं तेल विपणन कंपनियों (OMC) की संतुष्टि हेतु सड़क स्तर तक अच्छी मिट्टी, मुरूम से विकसित करने, मानक अभियांत्रिकी पद्धतियों के अनुसार स्तरवार सधन बनाने एवं प्रस्तावित भूमि तेल विपणन कंपनियों (OMC) को देने के लिए बाध्य हूँ और मैं स्थल की स्थितिनुसार बनाए गए तथा तेल विपणन कंपनियों (OMC) के अभियंताओ द्वारा अनुमोदित कम से कम 1.5 मीटर ऊंची प्रतिधारण दीवार तथा परिसर दीवार बनवाऊंगा/गी।</p> <p>छ) हमें यह भी ज्ञात है कि यदि कोई अन्य आवेदक _____स्थान_____ जिला_____ राज्य में रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित भूमि को वह भी प्रस्तावित करता है, तो रिटेल आउटलेटडीलरशिप हेतु मेरी उम्मीदवारी अस्विकृत होगी।</p>
13	<p>कि मैं एतदद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि डीलर नियुक्त होने पर मैं न तो कही अन्य नौकरी करूंगा/गी और न ही राज्य/केन्द्रिय सरकार से वेतन/भत्ते/परिलब्धियाँ लुंगा/गी।</p> <p>यदि मैं नौकरी में हूँ तो नौकरी से इस्तीफा दूंगा/गी और तेल कंपनी द्वारा जारी किया जानेवाला नियुक्ति पत्र स्वीकार करने से पहले मेरे नियोक्ता द्वारा इस्तीफा की स्वीकृति का सबूत के तौर पर प्रस्तुत करूंगा/गी।</p>
14	<p>मैं एतदद्वारा पुष्टि करता/ती हूँ कि मैंने चयन दिशा-निर्देशों की परिभाषानुसार अपने किसी भी परिवार सदस्य के पक्ष में किसी तेल विपणन कम्पनी की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप से इस्तीफा नहीं दिया है।</p>
15	<p>मैं विवाहित हूँ मैं वचन देता/ती हूँ कि यदि मुझे डीलरशिप आबंटित होती है तो मैं डीलरशिप में पति/पत्नी को शामिल करने संबंधी _____(तेल विपणन कंपनियों (OMC)) की शर्तें पूर्ण करूंगा/गी।</p> <p>अथवा</p> <p>मैं अविवाहित हूँ। मैं वचन देता/ती हूँ कि कम्पनी को मेरे विवाह की सूचना दूंगा/गी और वचन देता/ती हूँ कि यदि मुझे डीलरशिप आबंटित की जाती है तो विवाह के एक वर्ष के भीतर डीलरशिप में पति/पत्नी को शामिल करने संबंधी _____(तेल विपणन कंपनियों (OMC)) की शर्तें पूर्ण करूंगा/गी।</p>

16	मैं वचन देता/ती हूँ कि मैं उक्त डीलरशिप के आबंटन/परिचालन संबंधी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन / हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन/भारत सरकार अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा समय समय पर जारी संबद्ध दिशा-निर्देशों का पालन करूंगा/गी।
17	कि यदि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए मेरे आवेदन अथवा आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किसी दस्तावेज से अथवा इस शपथ-पत्र में दी गई कोई जानकारी/घोषणा झूठ या गलत या अवास्तविक पाई जाती है तो _____ (तेल विपणन कंपनियों (OMC) का नाम) अपने अधिकारों के तहत आशयपत्र वापस ले सकते हैं। डीलरशिप समाप्त कर सकते हैं (यदि नियुक्ति हुई तो) और इस प्रकार की वापसी/समाप्ति के लिए मैं कॉर्पोरेशन से कोई दावा नहीं कर सकता/ती।

यदि कोई व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में 182 दिन या उससे अधिक रहा, तो आयकर नियमों के अनुसार वह भारत का नागरिक माना जाता है, चाहे उसका नागरिकत्व कहीं का भी हो। यदि उसका निवास 182 दिनों से कम है तो वह अनिवासी माना जायेगा।

* जो लागू नहीं उसे काटें ।

मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त कथन सही और ठीक है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

साक्षी का हस्ताक्षर
(नाम बड़े अक्षरों में)

मेरे समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्ट एवं घोषित। _____ महीने का _____ दिन

हस्ताक्षर व मुहर
मॅजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

नोटरीकृत शपथपत्र

(वांछित मूल्य के उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर टाईप करें)

(गैर-व्यक्तिगत आवेदक प्रस्तुत करें)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन*/ हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन*
 _____ के _____ (स्थान) के रिटेल आउटलेट डीलरशिप मामले
 में, _____ (पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास*)
 _____ स्थान ने _____ में _____ (तेल कंपनी का
 नाम) के रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु आवेदन किया है।

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ आयु
 _____ वर्ष _____ का निवासी _____ की हैसियत से सत्यनिष्ठापूर्वक
 घोषित करता/ती हूँ:

- 1) कि पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास* द्वारा पारित संसकल्प द्वारा मुझे पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास* की आरे से उक्त डीलरशिप हेतु आवेदन करने के लिए अधिकृत किया है। संकल्प/प्राधिकरण की प्रतिलिपि संलग्न है जो शपथ-पत्र का हिस्सा है।
- 2) कि उक्त पंजीकृत सोसायटी _____ * राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या 1912 या राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत किया गया है। धर्मार्थ न्यास _____ * राज्य सरकार के धर्मार्थ आयुक्त के पास _____ को _____ (पंजीकरण / समावेशन की तिथि) पंजीकृत है और पंजीकरण प्रामाणपत्र की फोटोकॉपी संलग्न है जो इस शपथ-पत्र का हिस्सा है।
- 3) कि सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्रानुसार हमारी पंजीकृत सोसायटी* / कंपनी* ने लगातार पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान शुद्ध लाभ कमाया (धर्मार्थ न्यासों पर लागू नहीं)
- 4) पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास* की ओर से हम वचन देते हैं कि हम उक्त डीलरशिप के आबंटन संबंधी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन/भारत सरकार अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा समय-समय पर जारी सभी समबद्ध दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।
- 5) कि पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास* की ओर से हम वचन देते हैं कि हम अपनी एन्टिटी के जरिए डीलरशिप चलाएंगे।
- 6) कि सोसायटी के सभी सदस्य उसी श्रेणी के हैं जिसके लिए रिटेल आउटलेट डीलरशिप का विज्ञापन दिया गया है। सोसायटी के पंजीयक द्वारा जारी इस आशय के प्रमाणपत्र की प्रति और सोसायटी के सभी सदस्यों के नामों की सूची संलग्न है जो शपथ-पत्र का हिस्सा है

(केवल उन्हीं पंजीकृत सोसायटियों पर लागू "जो खुली के अलावा अन्य श्रेणी" में आवेदन करते हैं।

- 7) कि न तो हमारी पंजीकृत सोसायटी/कंपनी/धर्मार्थ न्यास और न ही इस पंजीकृत सोसायटी/धर्मार्थ न्यास की अधिशासी निकाय/प्रबंध निकाय/अन्य निकाय का कोई सदस्य/ कंपनी के निदेशक, न्यायालय द्वारा कानून के अंतर्गत दण्डनीय नैतिक अधमता और/अथवा आर्थिक गुनाहों (स्वतंत्रता की लड़ाई को छोड़कर) के दोषी पाए गए हैं।
- 8) कि न तो यह एन्टि और न ही इस पंजीकृत सोसायटी/धर्मार्थ न्यास की शासी निकाय/प्रबंध निकाय/अन्य निकाय का कोई सदस्य/ कंपनी के निदेशक किसी तेल कंपनी के डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप करार के हस्ताक्षरकर्ता थे, जिसे कदाचार और/अथवा विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (MDG) का उल्लंघन करने पर समाप्त कर दिया गया है।

(उक्त खंड 7 व 8 उन सरकारी स्वामित्व कंपनियों पर लागू नहीं है जिन्हें बतौर सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र व संयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों या सरकार प्रशासित संगठन के साथ प्रमुख शेयरहोल्डिंग परिभाषित किया गया है)

- 9) *कि इस कम्पनी के किसी निदेशक अथवा उसके परिवार के सदस्यों (व्यक्तियों हेतु बहु डीलरशिप मानकों के मामले में परिभाषित परिवार) अथवा होल्डिंग कम्पनी अथवा सहायक कम्पनी अथवा अन्य कोई कम्पनी या फर्म जहां इस आवेदक कम्पनी के शेयरधारकों (कुल मिलाकर) का नियंत्रित हिस्सेदारी अर्थात् 51% या अधिक है, के पास किसी तेल कम्पनी की डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप या रिटेल आउटलेट डीलरशिप/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप का आशय-पत्र नहीं है।

अथवा

*कि इस धर्मार्थ न्यास/पंजीकृत सोसायटी के अधिशासी निकाय/प्रबंध निकाय/अन्य निकाय के सदस्यों अथवा उनके परिवार के सदस्यों (व्यक्तियों हेतु बहु विध डीलरशिप मानको के मामले में परिभाषित परिवार) के पास किसी तेल कम्पनी की डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप या रिटेल आउटलेट डीलरशिप/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप का आशय-पत्र नहीं है।

- 10) कि पंजीकृत सोसायटी*/कम्पनी*/धर्मार्थ न्यास की ओर से मैं वचन देता/ती हूं कि तेल कम्पनी से डिलीवरी सूचना प्राप्त होने के 4 महीनों के भीतर तेल कम्पनी से ex-MI के आधार पर उत्पादों की डिलीवरी लेने की व्यवस्था करूंगा/गी*

11)

क. कि पंजीकृत सोसायटी*/कम्पनी*/धर्मार्थ न्यास* की ओर से मैं वचन देता/ती हूं कि आवेदन फॉर्म में वित्त से संबंधित खण्ड क्र.10 में दिए गए अद्यतन ब्यौरे के अनुसार हमारे पास निधि उपलब्ध हैं। पंजीकृत सोसायटी*/कम्पनी*/धर्मार्थ न्यास* की ओर से मैं पुष्टि करता/ती हूं कि पात्रता मापदण्ड के अनुसार वांछित न्यूनतम निधि विज्ञापनानुसार आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के अंतिम शेष के रूप में हमारे पास उपलब्ध होगी। क्षेत्र सत्यापन के दौरान दावे के समर्थन में मूल दस्तावेज कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कर दिए जाएंगे।

ख. हमें ज्ञात है कि यदि कभी भी हमारा उक्त दावा भिन्न पाया गया, तो हमारा आवेदन/उम्मीदवारी आगे की कार्रवाई हेतु तेल कम्पनी द्वारा अमान्य किया जाएगा।

ग. इसके अलावा, यदि हमें रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए चुना गया, तो हम वचन देते हैं कि _____ स्थान _____ जिला _____ राज्य में, जिसके लिए आवेदन किया है उस विज्ञापनानुसार आवश्यक अवसंरचना एवं सुविधाओं के विकास हेतु _____ की व्यवस्था करेंगे।

घ. हमें यह भी ज्ञात है कि यदि तेल कम्पनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा आवश्यकता पड़ने पर आवेदन फॉर्म के खण्ड 10 और उपर्युक्त अनुच्छेद "ग" के अनुसार निधियों की व्यवस्था नहीं कर पायें, तो आबंटन वापस ले लिया जाएगा और हम तेल कम्पनी से किसी प्रकार का दावा/क्षति नहीं मांग सकेंगे।

च. हम यह भी जानते हैं कि यदि किसी भी चरण में हमारे द्वारा वित्त प्रबंधन हेतु प्रस्तावित वित्तीय साधनों/लेखों/निधियों आदि का किसी अन्य आवेदक ने भी उसी विज्ञापन के उस लोकेशन हेतु प्रस्ताव दिया हो तो आरओ डीलरशिप हेतु हमारी उम्मीदवारी अस्वीकृत होगी और यदि हमारा चयन हुआ हो तो वह रद्द होगा।

12) **कि पंजीकृत सोसायटी*/कंपनी*/धर्मार्थ न्यास* की ओर से मैं वचन देता/ती हूँ कि आवेदन फॉर्म के खण्ड क्र. 9 और अधिवक्ता के पुष्टिकरण पत्र में दिए गए ब्यौरे. :-**

क. सही है और दावे के समर्थन में भूमि दस्तावेज़ आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न है।

ख. कि यदि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए हमारा चयन होता है, तो हम वचन देते हैं कि आवेदन फॉर्म में उल्लिखित अनुसार हम _____ स्थान _____ जिला _____ राज्य में जिसके लिए हमने आवेदन किया है, रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए उक्त भूमि उपलब्ध कराएंगे।

ग. हमें ज्ञात है कि यदि हमारे उक्त दावे के समर्थन में वांछित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए या यदि हमारा उक्त दावा भिन्न पाया गया, तो आगे की कार्रवाई के लिए तेल कम्पनी द्वारा हमारा आवेदन/उम्मीदवारी को अमान्य किया जाएगा।

घ. हमें यह भी ज्ञात है कि यदि हम आशय-पत्र में उल्लिखित अवधि के भीतर तेल कम्पनी (तेल कम्पनी का नाम) द्वारा वांछित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए उक्त भूमि उपलब्ध नहीं करा पाए, तो आबंटन वापस ली जा सकती है और तेल कम्पनी (तेल कम्पनी का नाम) पर हमारा कोई दावा/क्षति का दावा नहीं कर सकते।

च. हमें यह भी ज्ञात है कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए चुने जाने पर हम तेल विपणन कंपनियों (OMC) की संतुष्टि हेतु सड़क स्तर तक अच्छी मिट्टी/मरम, मानक अभियांत्रिकी पद्धतियों के अनुसार स्तरवार सधन बनाकर प्रस्तावित भूमि तेल विपणन कंपनियों (OMC) को देने के लिए बाध्य हूँ और हम स्थल की स्थितिनुसार बनाए गए तथज्ञ तेल विपणन कंपनियों (OMC) अभियंताओं द्वारा अनुमोदित कम-से-कम 1.5 मीटर ऊँची प्रतिधारण दीवार तथा परिसर दीवार बनवायेंगे/एनवाउंगा/गौ।

छ. हमें यह ज्ञात है कि यदि कोई अन्य आवेदक _____ स्थान _____ जिला _____ राज्य में रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित भूमि को वह भी प्रस्तावित करता /करते हैं, तो रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु हमारी उम्मीदवारी अस्वीकृत होगी।

13) कि यदि रिटेल आउटलेटडीलरशिप के लिए मेरे आवेदन अथवा आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किसी दस्तावेज में अथवा इस शपथ-पत्र में दी गई कोई जानकारी/घोषणा झूठ या गलत या अवास्तविक पाई जाती है तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन / हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अपने अधिकारों के तहत आशय- पत्र वापस ले सकते हैं। डीलरशिप समाप्त कर सकते हैं (यदि नियुक्ति हुई तो) और इस प्रकार वापसी/समाप्ति के लिए हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से कोई दावा नहीं कर सकते।

* जो लागू नहीं उसे काटें ।

मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त कथन सही और ठीक है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

साक्षी के हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में

मेरे समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टी एवं घोषणा की गई। _____ महीने का _____ दिन

हस्ताक्षर व मुहर
मॅजिस्ट्रेट/जज/नोटरी पब्लिक

साक्षी के हस्ताक्षर
(नाम बड़े अक्षरों में)

व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आवेदन का प्रारूप													
प्रारूप पत्र साफ अक्षरों में नीले/काले बाल पेन द्वारा भरा जाना चाहिए													
कार्यालय प्रयोग हेतु/ आवेदक द्वारा न भरा जाए	विज्ञापन में लोकेशन का क्रमांक	एओसी सूची के अनुसार आवेदन का क्रमांक	दिन D	दिन D	-	महीना M	महीना M	-	वर्ष Y	वर्ष Y	वर्ष Y	वर्ष Y	
रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन													
आवेदन शुल्क (रुपयों में) का विवरण/		अंको में	आवेदक का पासपोर्ट आकार की नवीनतम छाया चित्र नमूना हस्ताक्षर के साथ										
		शब्दों में											
डीडी संख्या.			दिनांक										
आहरित (बैंक)			को देय (स्थान)										
के पक्ष में (तेल कंपनी का पूरा नाम) /													
टिप्पणी :													
<u>सामान्य रिटेल आउटलेट हेतु:</u>													
(सभी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रुपये 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) संलग्न करें अजा./अजजा लोकेशनों को छोड़कर। अजा./अजजा (अजा/अजजा श्रेणी के तहत सीसी1 एवं सीसी2 समेत) स्थानों के लिए अजा./अजजा प्रमाण पत्र संलग्न करने पर आवेदन शुल्क रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) ।													
<u>ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए:</u>													
(सभी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रुपये 100/- (सौ रुपये मात्र) संलग्न करें सिवाय अजा./अजजा लोकेशनों के हेतु । अजा./अजजा (अजा/अजजा श्रेणी के तहत सीसी1 एवं सीसी2 समेत) स्थानों के लिए अजा./अजजा प्रमाण पत्र संलग्न करने पर आवेदन शुल्क रुपये 50/- (पचास रुपये मात्र) ।													

बोली (Bid) से जुड़े लोकेशनों के लिए आरंभिक डाउन पेमेंट (आईडीपी) का विवरण (यदि लागू न हो तो काट दें)

आईडीपी विवरण (रुपये)	अंको में		
	शब्दों में		
डीडी संख्या		दिनांक	

आहरित (बैंक)		को देय (स्थान)	
के पक्ष में (तेल कंपनी का पूरा नाम)			
टिप्पणी :			
<u>सामान्य रिटेल आउटलेट हेतु:</u>		सभी आवेदक रुपए 150000/- (एक लाख पचास हजार मात्र) की आईडीपी संलग्न करें ।	
<u>ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए:</u>		सभी आवेदक रुपए 50000/- (पचास हजार मात्र) की आईडीपी संलग्न करें ।	

1	स्थान का नाम	
2	ज़िला	
3	राज्य	
4	वर्ग*	
* कृपया निम्नानुसार आरक्षित लोकेशनों के संबंध में संबंधित श्रेणी का पात्रता प्रमाणपत्र संलग्न करें।		

कैटेगरी	पात्रता प्रमाणपत्र प्रोफार्मा	कैटेगरी	पात्रता प्रमाणपत्र प्रोफार्मा	कैटेगरी	पात्रता प्रमाणपत्र प्रोफार्मा
अजा/अजजा	परिशिष्ट VI	ओबीसी	परिशिष्ट - VII-ए व VII-बी	खुली सीसी 1	परिशिष्ट-VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र यथा लागू निर्मुक्ति आदेश अथवा पेंशन आदेश।
अजा/अजजा सीसी 1	परिशिष्ट VI, VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र या यथा लागू निर्मुक्ति आदेश अथवा पेंशन आदेश।	ओबीसी सीसी 1	परिशिष्ट VII-ए व VII-बी, VIII या डीजीआर प्रमाणपत्र यथा लागू निर्मुक्ति आदेश अथवा पेंशन आदेश।	खुली सीसी 2	परिशिष्ट - IX अथवा ओएसपी/एफएफ के लिए लागू प्रमाणपत्र
अजा/अजजा 2	परिशिष्ट - VI, IX अथवा ओएसपी/एफएफ के लिए लागू प्रमाणपत्र	ओबीसी सीसी 2	परिशिष्ट - VII-ए व VII-बी, IX अथवा ओएसपी/एफएफ के लिए लागू प्रमाणपत्र		

5	विज्ञापन की तारीख		किस समाचार पत्र में	(कृपया समाचार पत्र का नाम लिखें)
6	आवेदक का प्रकार	स्वामित्व/साझेदार	यदि साझेदार हो, तो कृपया प्रत्येक साझेदार के लिए अलग अलग आवेदन भरें और उन्हें एक साथ जोड़ें। प्रस्तावित साझेदारी विलेख की प्रति भी संलग्न करें।	
7	आवेदक को परिशिष्ट X ए में दिये गए प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र संलग्न करना होगा ।			
7.1	नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	प्रथम नाम	मध्य नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	अंतिम नाम

7.2	पिता/पति का नाम (श्री)	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम		
7.3	पता					
	जिला		पिनकोड			
	दूरभाष सं.		मोबाइल नंबर			
	ईमेल आईडी/		पैन नंबर			
7.4	भारतीय नागरिक	हाँ	नहीं	आयकर नियमों के अनुसार भारत निवासी	हाँ	नहीं
	यदि "नहीं" तो आवेदक योग्य नहीं है	राजस्व जिले का निवासी (कृपया ग्रामीण रिटेल आउटलेट के मामले में निवास प्रमाणपत्र जोड़े)				
		राज्य				
7.5	लिंग (जो लागू है उसे चिन्हित करें)	पुरुष			महिला	
7.6	जन्म तिथि			शपथ-पत्र की तिथि तक की आयु (सबूत संलग्न करें)		
		दिनांक DD	महिना MM		वर्ष YYYY	दिनांक DD
7.7	वैवाहिक स्थिति (जो लागू है उसे चिन्हित करें)	अकेला	विवाहित	विधवा/विधुर	तलाकशुदा	
7.8	पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित हो)	श्री/ श्रीमती				
	पति/पत्नी नौकरी में है (जो लागू है उसे चिन्हित करें)	हाँ			नहीं	
8	शैक्षणिक योग्यता (पात्रता मापदण्ड के अनुसार योग्यता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)					
	योग्यता	बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था का नाम			डिग्री	उत्तीर्ण होने का वर्ष
i)	स्नातक					
ii)	10+2 पास					
iii)	10 वीं पास					
9	भूमि का विवरण (कृपया नीचे की जानकारी देने से पहले विवरणिका का खंड 4 (iv) पढ़ें) भूमि के स्वामित्व के प्रमाण की प्रति संलग्न करें।					
भू स्वामी(यों) / पट्टाधारकों के नाम	आवेदक के साथ संबंध **	बिक्री विलेख/ उपहार विलेख/ पट्टाविलेख पंजीकरण की तिथि/म्यूटेशन की तिथि	निर्दिष्ट बिन्दु/लैंड मार्क के अनुसार भूमि का स्थान (लैंडमार्क /निर्दिष्ट बिन्दु से इसकी दूरी का भी उल्लेख करें)।	खसरा नं/ खतौनी/ गट नं/सर्वे-क्षण संख्या	भूखंड का व्यास*	
					सामने का भाग (frontage) मीटर में	गहराई (depth) मीटर में

--	--	--	--	--	--	--	--

क) क्या आप तेल कंपनी को भूमि बेचना/ लम्बी अवधि की लीज पर देना चाहते हैं ? हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो किस दर पर / शर्तों पर

ख) मेरा/मेरे परिवार सदस्य का (जैसा कि बहुविध डीलरशिप मानक में परिभाषित किया गया है) उक्त भूमि का टुकड़ा तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार न्यूनतम _____ वर्षों के अवधि के लिए या तो मालिकाना हक से / या दीर्घ अवधि की लीज के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज और अधिवक्ता रिपोर्ट के अनुसार मेरे द्वारा प्रस्तावित भूमि तेल कंपनी द्वारा (तेल कंपनी का नाम) रिटेल आउटलेट डीलर चयन के लिए ब्रोशर के खंड 4 (vi) में यथा परिभाषित "गुप 1" के अंतर्गत आती है।

अथवा

ग) भूमि का कथित टुकड़ा जो कि श्री/श्रीमती _____ का है वह मुझे/हमें (तेल कंपनी का नाम) का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। उक्त को "फर्म ऑफर" के रूप में दिया गया है और तेल कंपनी द्वारा विज्ञापित शर्तों के अनुसार खरीद/न्यूनतम _____ वर्षों की लीज पर दिया जा रहा है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज और अधिवक्ता रिपोर्ट के अनुसार मेरे द्वारा प्रस्तावित भूमि तेल कंपनी द्वारा (तेल कंपनी का नाम) रिटेल आउटलेट डीलर चयन के लिए ब्रोशर के खंड 4 (vi) में यथा परिभाषित "गुप 2" के अंतर्गत आती है।

(ख या ग पर यथा योग्य चिन्ह लगाएं, अन्य खंड को काट दें)

टिप्पणी :

विज्ञापन में दिए गए रिटेल आउटलेट की किसी एक लोकेशन के लिए एक से ज्यादा आवेदकों द्वारा एक ही भूमि का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। यदि एक से ज्यादा आवेदकों द्वारा एक ही भूमि का प्रस्ताव दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इन सभी आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।

यदि भूमि "परिवार इकाई" के सदस्य / किसी अन्य की है, तो परिशिष्ट - v ए के अनुसार नोटरीकृत शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक आवेदक की मौजूदा मालिकाना हक, दस्तावेज एवं जिस श्रेणी में भूमि आती है (गुप1 या गुप2) का खुलासा करते हुए अधिवक्ता (परिशिष्ट v-बी) से पुष्टिकारक पत्र संलग्न करना होगा।

घ) कथित भूमि का टुकड़ा (तेल कंपनी का नाम) को खरीद/न्यूनतम _____ वर्षों की लम्बी लीज/सब लीज के लिए तेल कंपनी की आवश्यकतानुसार एवं शर्तों के अनुसार प्रस्तावित किया गया है (कॉर्पोरेशन के स्वामित्व एवं डीलर परिचालित / सीएफएस-
CFIS स्थल/कंपनी लीज स्थल के अंतर्गत विज्ञापित लोकेशनों के लिए)

* कृपया कुल प्रस्तावित भूमि में से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि का व्यास देते हुए साइट मैप संलग्न करें।

** कृपया यथावश्यक " पिता " "माता" " अविवाहित भाई" " अविवाहित बहन " " अविवाहित पुत्र" "अविवाहित

पुत्री" इ . .
का संबंध स्पष्ट करें।

10. **वित्त** : (निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने से पहले कृपया विवरणिका की शर्त संख्या 4 (v) पढ़ें)
(कृपया लागू प्रसंग अनुरूप समर्थित दस्तावेज़/प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें)

क आवेदक और "परिवार इकाई" के सदस्यों के नाम पर शपथ पत्र की तारीख को अनुसूचित बैंक/पोस्ट ऑफिस में बचत खाते में राशि। परिशिष्ट IV में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार "परिवार इकाई" के सदस्यों का नोटरीकृत शपथपत्र संलग्न करें।

क्र. सं	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	खाता धारक का नाम	आवेदक के साथ संबंध**	शपथ पत्र की तारीख को राशि रुपयों में

कुल राशि (रु में)

कुल राशि शब्दों में (रु में)

ख) अनुसूचित बैंक, डाकघर, सूचीबद्ध कंपनियाँ/सरकारी संस्थान/केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम में मुक्त एवं आभरित सावधि जमा, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, (इन साधनों की पुनः लाभ प्राप्ति मूल्य (redemption value) पर चार्टर्ड एकाउंटेड (सीए-CA) द्वारा प्रमाणित मूल्य पर विचार किया जाएगा। सीए से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।)

क्र. सं	वित्तीय साधन के प्रकार- एफ़डी/एनएससी/केवीपी, इत्यादि	संदर्भ संख्या दिनांक सहित	धारक (कों) के नाम	आवेदक के साथ संबंध**	प्रारम्भिक निवेश राशि	लाभ प्राप्ति मूल्य (राशि रुपयों में)

कुल राशि (रु में)							
कुल राशि शब्दों में (रु में)							
ग) निःशुल्क एवं प्रभार मुक्त बांड, डीमैट रूप में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर और सूचीबद्ध म्यूचल फंड (म्यूचल फंड हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट/डिपोजिटरी पार्टिसीपेंट द्वारा बाज़ार भाव आधारित मूल्य आवेदन प्रस्तुत करने के पिछले माह के अंतिम कार्य दिवस पर "सकल संपत्ति मूल्य" का प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा डीमैट रूप में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से पिछले माह के अंतिम कार्य दिवस पर बाजार भाव के रूप में मूल्य पर विचार किया जाएगा) चार्टर्ड एकाउंटेंट/ डिपोजिटरी पार्टिसीपेंट द्वारा प्रमाणित मूल्य का केवल 60% मूल्य ही देना होगा।							
क्र.	वित्तीय साधन के प्रकार- बॉन्ड्स/शेयर/एमएफ़	संदर्भ संख्या दिनांक सहित	धारक (कों) के नाम	आवेदक के साथ संबंध**	प्रारम्भिक निवेश राशि	प्रमाणित मूल्य (राशि रुपयों में)	प्रमाणित मूल्य का 60 प्रतिशत
कुल राशि (रु में)							
कुल राशि शब्दों में (रु में)							

कुल राशि (रुपये में) (ए+ बी+सी) /	
कुल राशि शब्दों में (रुपये में) (ए+ बी+सी)	

**** कृपया अविवाहित भाई, अविवाहित बहन, अविवाहित बेटा, अविवाहित बेटी आदि जैसे रिश्तों को दर्शाया जाएं ।**

टिप्पणी :

शपथ पत्र की तारीख को उपरोक्त धन राशि आवेदक के पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदक की पात्रता के लिए न्यूनतम आवश्यक धन राशि भी आवेदन प्रस्तुत करने की विज्ञापित अंतिम तिथि पर अंतिम बचत के रूप में उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की विज्ञापित अंतिम तिथि पर उपलब्ध धन राशि पात्रता के लिए आवश्यक धन राशि की तुलना में कम पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11. आवेदक द्वारा शपथ :

- क) हमें ज्ञात है कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए पात्रता का फैसला उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर किया जाएगा। तेल कंपनी द्वारा किए गए सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत है /सही नहीं है / गलत प्रस्तुति की गई है तो ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और हमें डीलरशिप के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

- ख) हम यह भी वादा करते हैं कि यदि हम चयनित होते हैं तो हमारे इस आवेदन में हमारे द्वारा दी गयी जानकारी के संबंध में मूल सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु असफल रहने पर या गलत/असमर्थित जानकारी प्रस्तुत करने के परिणाम स्वरूप हमारा चयन रद्द किया जाएगा।
- ग) हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि तेल कंपनी के मानक लेआउट के अनुसार रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए ऊपर उल्लेखित स्थान प्रदान करने में हम असमर्थ होते हैं तो हमें आबंटित डीलरशिप को रद्द कर दिया जाएगा।
- घ) हमें यह भी ज्ञात है कि (तेल कंपनी का नाम) के विज्ञापन में निर्दिष्ट के अनुरूप रिटेल आउटलेट के अपेक्षित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक धन राशि की व्यवस्था करने के लिए हमारी असमर्थता की स्थिति में आबंटन वापस लिया जा सकता है और हमारे द्वारा तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) के खिलाफ किसी भी तरह का हर्जाना / दावा जो कुछ भी हो नहीं किया जाएगा।
- च) हमें यह भी ज्ञात है कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हमें रिटेल आउटलेट डीलर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है और तेल कंपनी से एल ओ ए प्राप्त करने से पहले हमें अपनी नौकरी से त्याग पत्र देना होगा और त्याग पत्र की स्वीकृति का प्रमाण भी देना होगा।
- छ) हमें यह भी ज्ञात है कि डीलर बनने के पश्चात मैं कहीं भी नौकरी नहीं कर सकता, ना ही किसी राज्य/केंद्र सरकार से किसी प्रकार का वेतन/भत्ता/परिलब्धियाँ नहीं ले सकता हूँ।
- ज) मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मेरे परिवार (परिवार इकाई जो कि बहुविध डीलरशिप मापदण्डों के अनुसार परिभाषित है) का कोई भी सदस्य किसी भी तेल कंपनी का कर्मचारी नहीं है।
- झ) हमें यह भी ज्ञात है कि, डीलर के रूप में नियुक्त होने के पश्चात हमें डीलरशिप की रोजमर्रा के कामकाज को अपनी निगरानी में संचालित करना होगा और कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकता हूँ।
- ट) मैं यह शपथ लेता/लेती हूँ कि अगर हमें डीलरशिप का आबंटन किया जाता है तो तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) की शर्तों के अनुरूप मैं अपने पत्नी/पति को डीलरशिप में सहभागीदार बनाऊँगा/बनाऊँगी।
- ठ) यदि हम चयनित होते हैं तो, हम वचन देते हैं कि कंपनी की नीति के अनुसार हमारे द्वारा ब्याजमुक्त जमानत राशि को जमा किया जाएगा।
- ड) यदि हम चयनित होते हैं तो, हम वचन देते हैं कि कंपनी की नीति के अनुसार हमारे द्वारा अप्रतिदेय निर्धारित शुल्क रूप का भुगतान किया जाएगा। (डीलर के स्वामित्व वाले स्थलों के लिए लागू)

अथवा

यदि हम चयनित होते हैं, हम वचन देते हैं कि हमारे द्वारा कंपनी की नीति के अनुसार अप्रतिदेय बोली (Bid) की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। (कॉरपस फंड रिटेल आउटलेट को छोड़ कर निगम के स्वामित्व वाले स्थलों के लिए लागू)

- ढ) मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि, यदि किसी भी चरण में मेरे द्वारा वित्त प्रबंधन हेतु प्रस्तावित वित्तीय साधनों/लेखों/निधियों आदि का किसी अन्य आवेदक ने उसी विज्ञापन के उस लोकेशन हेतु प्रस्ताव दिया हो तो आरओ डीलरशिप हेतु मेरी उम्मीदवारी अस्वीकृत होगी और यदि मेरा चयन हुआ हो तो वह रद्द होगा।
- त) मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि, एक ही विज्ञापन के उसी विशेष- आरओ लोकेशन के लिए एक से अधिक आवेदकों द्वारा एक ही भूमि का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसा पाया गया कि मेरे द्वारा प्रस्तावित भूमि के हिस्से का किसी अन्य आवेदक (कों) द्वारा उसी लोकेशन के लिए प्रस्ताव दिया गया है, तो आरओ डीलरशिप के लिए मेरी उम्मीदवारी अस्वीकृत होगी।

में _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ एतद् द्वारा पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही एवं सत्य हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना/गलत बयानी/ वास्तविक तथ्यों का दमन, हमें रिटेल आउटलेट की इस डीलरशिप के लिए अयोग्य घोषित कर देगा। यह भी की हमारे आवेदन में हमारे द्वारा प्रदान की गई सूचना/उद्घोषणा अथवा हमारे द्वारा रिटेल आउटलेट डीलरशिप से नवाजे जाने हेतु आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज़ असत्य या गलत या मिथ्या पाये जाने पर _____ तेल कंपनी (OMC) अपने अधिकार के तहत आशय पत्र को वापस ले सकती है/डीलरशिप को रद्द कर सकती है (यदि पहले से नियुक्त किया गया हो) और इस तरह की वापसी/रद्दीकरण जैसा भी हो के मामले में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का दावा कंपनी के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा।

स्थान : _____ आवेदक के हस्ताक्षर _____

**दिनांक : _____ आवेदक का नाम _____

** शपथ पत्र में उल्लेखित दिनांक को पात्रता मानदंडों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए लागू तिथि के रूप में माना जाएगा ।

गैर व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आवेदन का प्रारूप														
प्रारूप पत्र साफ अक्षरों में नीले/काले बाल पेन द्वारा भरा जाना चाहिए														
कार्यालय प्रयोग हेतु/ आवेदक द्वारा भरा जाए														
	विज्ञापन में लोकेशन का क्रमांक	एओसी सूची के अनुसार आवेदन का क्रमांक	दिन D	दिन D	-	महीना M	महीना M	-	वर्ष Y	वर्ष Y	वर्ष Y	वर्ष Y		
रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए आवेदन														
आवेदन शुल्क (रुपयों में) का विवरण/		अंको में			प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पासपोर्ट आकार की नवीनतम छाया चित्र पर नमूना हस्ताक्षर के साथ									
		शब्दों में												
डीडी संख्या.			दिनांक											
आहरित (बैंक)			को देय (स्थान)											
के पक्ष में (तेल कंपनी का पूरा नाम) /														
टिप्पणी :														
<u>सामान्य रिटेल आउटलेट हेतु:</u>														
(सभी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रुपये 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) संलग्न करें अजा./अजजा लोकेशनों को छोड़कर। अजा./अजजा (अजा/अजजा श्रेणी के तहत सीसी1 एवं सीसी2 समेत) स्थानों के लिए अजा./अजजा प्रमाण पत्र संलग्न करने पर आवेदन शुल्क रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) ।														
<u>ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए:</u>														
(सभी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रुपये 100/- (सौ रुपये मात्र) संलग्न करें सिवाय अजा./अजजा लोकेशनों के हेतु । अजा./अजजा (अजा/अजजा श्रेणी के तहत सीसी1 एवं सीसी2 समेत) स्थानों के लिए अजा./अजजा प्रमाण पत्र संलग्न करने पर आवेदन शुल्क रुपये 50/- (पचास रुपये मात्र) ।														

बोली (Bid) से जुड़े लोकेशनों के लिए आरंभिक डाउन पेमेंट (आईडीपी) का विवरण (यदि लागू न हो तो काट दें)

आईडीपी विवरण (रुपये)	अंको में		
	शब्दों में		
डीडी संख्या			दिनांक
आहरित (बैंक)			को देय (स्थान)

के पक्ष में (तेल कंपनी का पूरा नाम)	
टिप्पणी :	
<u>सामान्य रिटेल आउटलेट हेतु:</u>	सभी आवेदक रुपए 150000/- (एक लाख पचास हजारमात्र) की आईडीपी संलग्न करें ।
<u>ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए:</u>	सभी आवेदक रुपए 50000/- (पचास हजार मात्र) की आईडीपी संलग्न करें ।

1	स्थान का नाम	
2	ज़िला	
3	राज्य	
4	श्रेणी*	

गैर व्यक्तिगत आवेदक से तात्पर्य है सरकारी निकाय/एजेंसियां, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी, /संबन्धित राज्यों द्वारा अधिनियमित रूप में सहकारी सोसायटी अधिनियम 1912 अथवा सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी, चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ पंजीकृत कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत गठित संबन्धित राज्य सरकार के कंपनियों के चैरिटी आयुक्त (प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर) ।

* **"खुली श्रेणी के अलावा"** के अंतर्गत केवल पंजीकृत को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ आवेदन कर सकती हैं। पंजीकृत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा आरक्षित श्रेणियों के अंदर आवेदन करने के मामले में सोसाइटी के सभी सदस्य उसी श्रेणी के सदस्य होने चाहिए जिसके लिए रिटेल आउटलेट डीलरशिप का विज्ञापन दिया गया हो। सोसाइटी के रजिस्ट्रार से इस आशय का प्रमाण-पत्र और सोसाइटी के सभी सदस्यों के नामों की सूची भी देनी पड़ेगी।

5	विज्ञापन की तारीख	किस समाचार पत्र में	कृपया समाचार पत्र का नाम लिखें	
6	आवेदक का प्रकार	पंजीकृत सोसायटी/कंपनी/चैरिटीबल ट्रस्ट/सरकारी संगठन (कृपया लागू अनुरूप चिन्हित करें)		
7	आवेदक को परिशिष्ट 10 बी में दिये गए प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र संलग्न करना होगा ।			
7.1	अधिकृत व्यक्ति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
7.2	पिता/पति का नाम (श्री)	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
7.3	पता			

	जिला		पिन कोड	
	दूरभाष सं.		मोबा नं.	
	ईमेल आईडी/		पैन नं.	
8	पंजीकृत सोसायटी/कंपनी/परोपकारी संस्था/सरकारी संगठन का विवरण			
क)	नाम			
ख)	पंजीकृत कार्यालय का पता/			
	जिला		पिन कोड	
	दूरभाष नं.		मोबा नं.	
	ईमेल आईडी/		पैन नं.	
टिप्पणी: एन्टीटी को भारत में पंजीकृत होना चाहिए। ग्रामीण रिटे. आउ. के मामले में सोसायटी को उसी जिले में पंजीकृत होना चाहिए जहां के लिए रिटेल आउटलेट का विज्ञापन दिया गया है।				
ग)	पंजीकरण/निगमन कि तारीख (तिथि/माह/वर्ष)			
d)	सीए द्वारा प्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हानि/लाभ का व्यौरा। (कृपया प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	कर पश्चात लाभ	हानि	
i)				
ii)				
iii)				
टिप्पणी: केवल पंजीकृत सोसायटी/कंपनी जो लगातार विगत तीन वित्तीय वर्षों से लाभार्जन कर रहे हैं और सीए द्वारा प्रमाणित हैं वही सोसायटी/कंपनी आवेदन करने हेतु पात्र हैं।				
e)	यदि पंजीकृत सोसायटी खुली श्रेणी के अलावा आवेदन करते हैं- तो उस पंजीकृत सोसायटी के सभी सदस्य उसी श्रेणी के अंतर्गत आते हों जिस श्रेणी में रिटेल आउटलेट का विज्ञापन दिया गया है? (यदि "नहीं" तो आप आवेदन के लिए योग्य नहीं हैं) (कृपया सोसाइटी के रजिस्ट्रार से प्रासंगिक प्रमाण पत्र संलग्न करें एवं सोसायटी के सभी सदस्यों के नाम की सूची दें।	हाँ	नहीं	
9	भूमि का विवरण (कृपया नीचे कि जानकारी देने से पहले विवरणिका का खंड 4 (iv) पढ़ें इसमें भूमि के स्वामित्व के प्रमाण कि प्रति संलग्न की जानी है)।			

भू स्वामी(यों) / पट्टाधारकों के नाम	बिक्री विलेख/ उपहार विलेख/ पट्टाविलेख पंजीकरण की तिथि/म्यूटेशन की तिथि	निर्दिष्ट बिन्दु/लैंड मार्क के अनुसार भूमि का स्थान (लैंडमार्क /निर्दिष्ट बिन्दु से इसकी दूरी का भी उल्लेख करें)।	खसरा नं/ खतौनी/गट नं/सर्वे-क्षण संख्या	भूखंड का व्यास*		
				सामने का भाग (front age)मीटर में	गहराई (depth) मीटर में	क्षेत्र (Area) स्क्वेयर मीटर में

क) क्या आप तेल कंपनी को भूमि बेचना/ लम्बी अवधि की लीज पर देना चाहते हैं ? हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो किस दर पर / शर्तों पर

ख) हमारा उक्त भूमि का टुकड़ा तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार मालिकाना हक से अथवा न्यूनतम _____ वर्षों के अवधि के लिए दीर्घ अवधि की लीज के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज और अधिवक्ता रिपोर्ट के अनुसार मेरे द्वारा प्रस्तावित भूमि तेल कंपनी द्वारा (तेल कंपनी का नाम) रिटेल आउटलेट डीलर चयन के लिए ब्रोशर के खंड 4 (vi) में यथा परिभाषित "गुप 1" के अंतर्गत आती है।

अथवा

ग) भूमि का कथित टुकड़ा जो कि _____ का है वह हमें (तेल कंपनी का नाम) का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। उक्त को "फर्म ऑफर" के रूप में दिया गया है और तेल कंपनी द्वारा विज्ञापित शर्तों के अनुसार खरीद/न्यूनतम _____ वर्षों की लीज पर दिया जा रहा है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज और अधिवक्ता रिपोर्ट के अनुसार मेरे द्वारा प्रस्तावित भूमि तेल कंपनी द्वारा (तेल कंपनी का नाम) रिटेल आउटलेट डीलर चयन के लिए ब्रोशर के खंड 4 (vi) में यथा परिभाषित "गुप 2" के अंतर्गत आती है।

(ख या ग पर यथा योग्य चिन्ह लगाएं, अन्य खंड को काट दें)

टिप्पणी :

विज्ञापन में दिए गए रिटेल आउटलेट की किसी एक लोकेशन के लिए एक से ज्यादा आवेदकों द्वारा एक ही भूमि का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। यदि एक से ज्यादा आवेदकों द्वारा एक ही भूमि का प्रस्ताव दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इन सभी आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।

यदि भूमि सहभागीदार के रूप में या किसी अन्य की है, तो परिशिष्ट- V ए के अनुसार नोटरीकृत शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक आवेदक की मौजूदा मालिकाना हक, दस्तावेज एवं जिस श्रेणी में भूमि आती है (गुप1 या गुप2) का खुलासा करते हुए अधिवक्ता (परिशिष्ट V-बी) से पुष्टिकारक पत्र संलग्न करना होगा।

घ) कथित भूमि का टुकड़ा (तेल कंपनी का नाम) को खरीद/न्यूनतम _____ वर्षों की लम्बी लीज/सब लीज के लिए तेल कंपनी की आवश्यकतानुसार एवं शर्तों के अनुसार प्रस्तावित किया गया है (कॉर्पोरेशन के स्वामित्व एवं डीलर परिचालित / सीएफएस- CFS स्थल/कंपनी लीज स्थल के अंतर्गत विज्ञापित लोकेशनो के लिए)

* कृपया कुल प्रस्तावित भूमि में से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि का व्यास देते हुए साइट मैप संलग्न करें।

10. **वित्त** : (निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने से पहले कृपया विवरणिका की शर्त संख्या 4 (v) पढ़ें)
(कृपया लागू प्रसंग अनुरूप समर्थित दस्तावेज़/प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें)

क	आवेदक के नाम पर शपथ पत्र की तारीख को अनुसूचित बैंक/पोस्ट ऑफिस में बचत खाते में राशि।
----------	--

क्र. सं	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	खाता धारक का नाम	शपथ पत्र की तारीख को राशि रुपयों में

कुल राशि (रु में)

कुल राशि शब्दों में (रु में)

ख) अनुसूचित बैंक, डाकघर, सूचीबद्ध कंपनियाँ/सरकारी संस्थान/केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम में मुक्त एवं आभरित सावधि जमा, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, (इन साधनों की पुनः लाभ प्राप्ति मूल्य (redemption value)पर चार्टर्ड एकाउंटेड (सीए-CA) द्वारा प्रमाणित मूल्य पर विचार किया जाएगा। सीए से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।)

क्र. सं	वित्तीय साधन के प्रकार- एफ़डी/एनएससी/केवीपी, इत्यादि	संदर्भ संख्या दिनांक सहित	धारक (कों) के नाम	प्रारम्भिक निवेश राशि	लाभ प्राप्ति मूल्य (राशि रुपयों में)

कुल राशि (रु में)

कुल राशि शब्दों में (रु में)

ग) निःशुल्क एवं प्रभार मुक्त बांड, डीमैट रूप में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर और सूचीबद्ध म्यूचल फंड (म्यूचल फंड हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट/डिपोजिटरी पार्टिसीपेंट द्वारा बाजार भाव आधारित मूल्य आवेदन प्रस्तुत करने के पिछले माह के अंतिम कार्य दिवस पर "सकल संपत्ति मूल्य" का प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा डीमैट रूप में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से पिछले माह के अंतिम कार्य दिवस पर बाजार भाव के रूप में मूल्य पर विचार किया जाएगा) चार्टर्ड एकाउंटेंट/ डिपोजिटरी पार्टिसीपेंट द्वारा प्रमाणित मूल्य का केवल 60% मूल्य ही देना होगा।

क्र.	वित्तीय साधन के प्रकार- बॉन्ड्स/शेयर/एमएफ़	संदर्भ संख्या दिनांक सहित	धारक (कों) के नाम	प्रारम्भिक निवेश राशि	प्रमाणित मूल्य (राशि रुपयों में)	प्रमाणित मूल्य का 60 प्रतिशत
कुल राशि (रु में)						
कुल राशि शब्दों में (रु में)						

कुल राशि (रुपये में) (ए+ बी+सी) /	
कुल राशि शब्दों में (रुपये में) (ए+ बी+सी)	

टिप्पणी :

शपथ पत्र की तारीख को उपरोक्त धन राशि आवेदक के पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदक की पात्रता के लिए न्यूनतम आवश्यक धन राशि भी आवेदन प्रस्तुत करने की विज्ञापित अंतिम तिथि पर अंतिम बचत के रूप में उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की विज्ञापित अंतिम तिथि पर उपलब्ध धन राशि पात्रता के लिए आवश्यक धन राशि की तुलना में कम पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11. आवेदक द्वारा शपथ

- क) हमें ज्ञात है कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए पात्रता का फैसला उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर किया जाएगा। तेल कंपनी द्वारा किए गए सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत है /सही नहीं है / गलत प्रस्तुति की गई है तो ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और हमें डीलरशिप के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।
- ख) हम यह भी वादा करते हैं कि यदि हम चयनित होते हैं तो हमारे इस आवेदन में हमारे द्वारा दी गयी जानकारी के संबंध में मूल सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु असफल रहने पर या गलत/असमर्थित जानकारी प्रस्तुत करने के परिणाम स्वरूप हमारा चयन रद्द किया जाएगा।
- ग) हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि तेल कंपनी के मानक लेआउट के अनुसार रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए ऊपर उल्लेखित स्थान प्रदान करने में हम असमर्थ होते हैं तो हमें आबंटित डीलरशिप को रद्द कर दिया जाएगा।

- घ) हमें यह भी ज्ञात है कि तेल कंपनी के विज्ञापन में (तेल कंपनी का नाम) निर्दिष्ट के रूप में रिटेल आउटलेटके अपेक्षित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक धन राशि की व्यवस्था करने के लिए हमारी असमर्थता की स्थिति में आबंटन वापस लिया जा सकता है और हमारे द्वारा तेल कंपनी (तेल कंपनी का नाम) के खिलाफ किसी भी तरह का हर्जाना / दावा जो कुछ भी हो नहीं किया जाएगा ।
- च) मैसर्स _____ की तरफ से मैं यह भी वादा करता हूँ कि हमारा संगठन रिटेल आउटलेट का प्रबंधन स्वयं करेगा और अनुबंध के आधार पर नहीं करेगा।
- छ) यदि हम चयनित होते हैं तो, हम वचन देते हैं कि कंपनी की नीति के अनुसार हमारे द्वारा ब्याजमुक्त जमानत राशि को जमा किया जाएगा।
- ज) यदि हम चयनित होते हैं तो, हम वचन देते हैं कि कंपनी की नीति के अनुसार हमारे द्वारा अप्रतिदेय निर्धारित शुल्क रुपए _____ का भुगतान किया जाएगा ।(डीलर के स्वामित्व वाले स्थलों के लिए लागू)

अथवा

यदि हम चयनित होते हैं, हम वचन देते हैं कि हमारे द्वारा कंपनी की नीति के अनुसार अप्रतिदेय बोली (Bid) की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। (कॉरपस फंड रिटेल आउटलेट को छोड़ कर निगम के स्वामित्व वाले स्थलों के लिए लागू)

- झ) हम यह भी जानते हैं कि यदि किसी भी चरण में हमारे द्वारा वित्त प्रबंधन हेतु प्रस्तावित वित्तीय साधनों/लेखों/निधियों आदि का किसी अन्य आवेदक ने उसी विज्ञापन के उसी लोकेशन हेतु प्रस्ताव दिया हो तो आरओ डीलरशिप हेतु मेरी उम्मीदवारी अस्वीकृत होगी और यदि मेरा चयन हुआ हो तो वह रद्द होगा।
- ट) हम यह भी जानते हैं कि एक ही विज्ञापन के उसी विशेष- आरओ लोकेशन के लिए एक से अधिक आवेदकों द्वारा एक ही भूमि का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसा पाया गया कि मेरे द्वारा प्रस्तावित भूमि के हिस्से का किसी अन्य आवेदक(कों) द्वारा उसी लोकेशन के लिए प्रस्ताव दिया गया है तो आरओ डीलरशिप के लिए मेरी उम्मीदवारी अस्वीकृत होगी। ,

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ एतद् द्वारा पुष्टि करता हूँ कि मैसर्स _____ की ओर से इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के लिए मुझे प्राधिकृत किया गया हूँ और ऊपर दी गई सूचना सही एवं सत्य हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना/गलत बयानी/ वास्तविक तथ्यों का दमन, हमें रिटेल आउटलेट की इस डीलरशिप के लिए अयोग्य घोषित कर देगा। यह भी कि हमारे आवेदन में हमारे द्वारा प्रदान की गई सूचना/उद्घोषणा अथवा हमारे द्वारा रिटेल आउटलेट डीलरशिप से नवाजे जाने हेतु आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज़ असत्य या गलत या मिथ्या पाये जाने पर _____ तेल कंपनी (OMC) अपने अधिकार के तहत आशय पत्र को वापस ले सकती है/डीलरशिप को रद्द कर सकती है (यदि पहले से नियुक्त किया गया हो) और इस तरह की वापसी/रद्दीकरण जैसा भी हो के मामले में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का दावा कंपनी के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा ।

स्थान : _____ आवेदक के हस्ताक्षर _____

**दिनांक : _____ आवेदक का नाम _____

** शपथ पत्र में उल्लेखित दिनांक को पात्रता मानदंडों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए लागू तिथि के रूप में माना जाएगा ।

वित्तीय बोली (Financial Bid)

दिनांक _____ को विज्ञापित लोकेशन _____ जिला _____ राज्य
 _____ में _____ कैटेगरी के अंतर्गत डीलरशिप हेतु आवेदन

आवेदक (कों)/एन्टिटी का नाम :

आवेदक (कों)/एन्टिटी का पता :

मैं/हम उक्त उल्लिखित लोकेशन में रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आबंटन हेतु बोली (Bid) की राशि के रूप में रु. _____ (रूपये _____ केवल) उद्धृत करता/करती हूँ/हैं।

आवेदकों (कों) के हस्ताक्षर/एन्टिटी के अधिकृत हस्ताक्षरी

दिनांक :

स्थान :

टिप्पणी

1. न्यूनतम बोली (Bid) राशि रु. 10 लाख - ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए और रु. 30 लाख - सामान्य रिटेल आउटलेट के लिए।
2. यदि लिखी गई राशि के आंकड़ों एवं शब्दों में अंतर हो तो शब्दों में लिखी गई सम्मत होगी।
3. वित्तीय बोली (Bid) अलग मोहरबंद लिफाफे में डालकर उस पर "वित्तीय बोली (Financial Bid)" लिखा जाना चाहिए।
4. आवेदनों के साथ खुली हुई वित्तीय बोली (Bid) या लिफाफे पर वित्तीय बोली (Financial Bid) न लिखा होने पर आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा।

परिशिष्ट XII - ए

लोकेशन/जिला/राज्य का नाम:

आवेदक का नाम:

व्यक्तिगत आवेदकों के लिए जाँच सूची				
क्र.संख्या	जाँच किये जाने वाले दस्तावेज /गतिविधि	पृष्ठ सं.		प्रस्तुत हाँ/नहीं/लागू नहीं
		से	तक	
1	हस्ताक्षर एवं फोटो सहित पूर्ण भरे गये आवेदन पत्र (फोटो पर हस्ताक्षर के साथ)			
2	आवेदन शुल्क			
3	आईडीपी (लोकेशनों के लिए जिसमें बिडिंग/ बोली (Bid) प्रक्रिया शामिल है)			
4	आरक्षित कैटेगरियों के अंतर्गत लोकेशनों के लिए - विज्ञापन/विवरणिका के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से कैटेगरी प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित कॉपी।			
5	साझेदारी फर्म के मामले में - प्रस्तावित साझेदारी विलेख की साक्ष्यांकित कॉपी			
6	साझेदारी फर्म के मामले में - क्या सभी साझेदारों के आवेदन पत्र एकसाथ संलग्न किये हैं।			
7	परिशिष्ट - X ए में दिए प्रपत्र के अनुसार नोटरीकृत शपथपत्र की मूल प्रति			
8	ग्रामीण रिटेल आउटलेटके मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित कॉपी			
9	आयुसंबंधी प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित कॉपी			
10	शैक्षणिक अर्हतासंबंधी प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित कॉपी			
11	प्रस्तावित भूमि के दस्तावेजों की साक्ष्यांकित कॉपी राजस्व अधिकारियों से प्राप्त खसरा/खतौनी या इसके समकक्ष दस्तावेज/पंजीकृत बिक्री विलेख/पंजीकृत लीज विलेख/स्वामित्व अंतरण विलेख जो जारी किया हो।			
12	जहाँ आवेदक भूमि मालिक न हो - सभी मालिकों या सह-मालिकों द्वारा, जिसमें परिवार के सदस्य शामिल हैं, व्यक्तिगत रूप से नोटरीकृत शपथपत्र संलग्न किया जाए।			
13	भूमि परिभाषित ग्रुप 1 या ग्रुप 2 पर एडवोकेट का पुष्टिकरण पत्र			
14	भूमि के आयाम सहित रेखाचित्र (साइटमैप)			
15	शेड्यूल्ड बैंक/पोस्ट ऑफिस/अधिसूचित कंपनियों/सरकारी संगठन/पीएसयू में बचत खाते/सावधि जमा, किसान विकास पत्र, एनएससी, बॉन्ड्स, म्युच्युअल फंड्स और शेयर प्रमाणपत्रों की साक्ष्यांकित कॉपी)			
16	बॉन्ड्स, म्युच्युअल फंड्स और शेयरों संबंधी सनदी लेखाकार/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट का प्रमाणपत्र			

17	परिवार इकाई के वित्त प्रबंध संबंधी दस्तावेजों की साक्ष्यांकित कॉपी-परिवार के संबंधित सदस्य से निधियों के स्वामित्व विवरण संबंधी नोटरीकृत शपथपत्र			
18	मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत आवेदनपत्र जिसपर लोकेशन का नाम एवं क्रम संख्या (विज्ञापन के अनुसार) लिखा जाए।			
19	लोकेशन जिनमें बिडिंग प्रक्रिया शामिल है, के मामले में, आवेदन सहित संलग्न (आईडीपी सहित) और फाइनांशियल बिड के दस्तावेज को अलग अलग मोहरबंद लिफाफे में डाला जाए। इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से "आवेदन प्रपत्र तथा संलग्नक" और "वित्तीय बोली (Financial Bid) " लिखा जाना चाहिए तथा इन दोनों लिफाफों को एक अलग मोहरबंद लिफाफे में डालें तथा उस पर लोकेशन का नाम और क्रम संख्या (विज्ञापन के अनुसार) लिखकर जमा करें।			
20	अन्य कोई संलग्न दस्तावेज			
21	आवेदन प्रपत्र तथा संलग्न दस्तावेजों की कुल संख्या			

यह संपूर्ण सूची नहीं है। आवेदकों को अपने आवेदनपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व "विवरणिका " ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए।

परिशिष्ट XII - बी

लोकेशन/जिला/राज्य का नाम:

आवेदक का नाम:

गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए जाँच सूची				
क्र.संख्या	जाँच किये जाने वाले दस्तावेज / गतिविधि	पृष्ठ सं.		प्रस्तुत हाँ/नहीं/लागू नहीं
		से	तक	
1	हस्ताक्षर एवं फोटो सहित पूर्ण भरे गये आवेदन पत्र (फोटो पर हस्ताक्षर के साथ)			
2	आवेदन शुल्क			
3	आईडीपी (लोकेशनों के लिए जिसमें बिडिंग / बोली (Bid) प्रक्रिया शामिल है)			
4	आरक्षित कैटेगरियों के अंतर्गत लोकेशनों के लिए - विज्ञापन/विवरणिका के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से कैटेगरी प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित कॉपी। ("ओपन के अलावा" कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करनेवाली पंजीकृत सोसायटी के लिए)			
5	परिशिष्ट-Xबी में दिये प्रपत्र के अनुसार नोटरीकृत शपथपत्र की मूल प्रति			
6	ग्रामीण रिटेल आउटलेटके मामले में उसी जिले में पंजीकृत होने के प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित प्रति।			
7	प्रस्तावित भूमि के दस्तावेजों की साक्ष्यांकित कॉपी राजस्व अधिकारियों से प्राप्त खसरा/खतौनी या इसके समकक्ष दस्तावेज/पंजीकृत बिक्री विलेख/पंजीकृत लीज विलेख/स्वामित्व अंतरण विलेख जो जारी किया हो।			
8	जहाँ आवेदक भूमि मालिक न हो - सभी मालिकों या सह-मालिकों द्वारा, व्यक्तिगत रूप से नोटरीकृत शपथपत्र संलग्न किया जाए।			
9	भूमि परिभाषित ग्रुप 1 या ग्रुप 2 पर एडवोकेट का पुष्टिकरण पत्र			
10	भूमि के आयाम सहित रेखाचित्र (साइटप्लान)			
11	शेड्यूल्ड बैंक/पोस्ट ऑफिस/अधिसूचित कंपनियों/सरकारी संगठन/पीएसयू में बचत खाते/सावधि जमा, किसान विकास पत्र, एनएससी, बॉन्डस्, म्युच्युअल फंडस् और शेयर प्रमाणपत्रों की साक्ष्यांकित कॉपी)			
12	बॉन्डस्, म्युच्युअल फंडस् और शेयरों संबंधी सनदी लेखाकार/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट का प्रमाणपत्र			
13	प्राधिकारपत्र/संकल्प जिसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम लिखें।			
14	पंजीकरण प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित कॉपी /एन्टिटी का समावेश करने संबंधी सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणपत्र की कॉपी			
15	पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि खाता विवरणों की साक्ष्यांकित कॉपी			

16	मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत आवेदनपत्र जिसपर लोकेशन का नाम एवं क्रम संख्या (विज्ञापन के अनुसार) लिखा जाए।			
17	लोकेशन जिनमें बिडिंग प्रक्रिया शामिल है, के मामले में, आवेदन सहित संलग्न (आईडीपी सहित) और फाइनांशियल बिड के दस्तावेज को अलग अलग मोहरबंद लिफाफे में डाला जाए। इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से "आवेदन प्रपत्र तथा संलग्नक" और "वित्तीय बोली (Financial Bid) " लिखा जाना चाहिए तथा इन दोनों लिफाफों को एक अलग मोहरबंद लिफाफे में डालें तथा उस पर लोकेशन का नाम और क्रम संख्या (विज्ञापन के अनुसार) लिखकर जमा करें।			
18	अन्य कोई संलग्न दस्तावेज			
19	आवेदन प्रपत्र तथा संलग्न दस्तावेजों की कुल संख्या			

यह संपूर्ण सूची नहीं है। आवेदकों को अपने आवेदनपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व "विवरणिका " ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए।